क्रम-संख्या-152 (क)

रजिस्टर्ड नं० ए० डी०-4

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग —4 खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, रविवार, 25 मार्च, 1979
चैत्र 4, 1901 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

पंचायती राज विभाग

संख्या 7906-क/33-1--91-77

लखनऊ, 25 मार्च, 1979

अधिसूचना

प्रकीर्ण

प० आ०--301

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन शक्ति का प्रयोग करके और इस विषय पर समस्त विद्यमान नियमों और आदेशों का अतिक्रमण करके राज्यपाल उत्तर प्रदेश पंचायत अधीनस्थ लिपिक वर्ग सेवा में भर्ती और उसमें नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:—

उत्तर प्रदेश पंचायत अधीनस्थ लिपिक वर्ग सेवा नियमावली, 1979

भाग—एक सामान्य

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश पंचायत अधीनस्थ लिपिक वर्ग सेवा नियमावली, 1979 । कही जायगी ।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी ।

सेवा की प्रास्थिति

2—उत्तर प्रदेश पंचायत अधीनस्थ लिपिक वर्ग सेवा एक अराजपत्रित सेवा है, जिसमें समूह "ग" के पद सम्मिलित हैं ।

परिभाषायें

3--जब तक विषय या संदर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो, इस नियमावली में—

(क) "नियुक्ति प्राधिकारी" का तात्पर्य जिला पंचायत राज अधिकारी से है,

(ख) "भारत का नागरिक" का तात्पर्य उस व्यक्ति से है जो संविधान के भाग दो के अधीन भारत का नागरिक हो या समझा जाय,

(ग) "संविधान" का तात्पर्य भारत के संविधान से है,

(घ) "सरकार" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सरकार से है,

(ङ) "राज्यपाल" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से है।

(च) "सेवा का सदस्य" का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर इस नियमावली या इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व प्रवृत्त नियमों या आदेशों के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति से है,

(छ) "सेवा" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश पंचायत अधीनस्थ लिपिक वर्ग सेवा से है।

(ज) "वर्ष" का वर्ष का तात्पर्य किसी कलेण्डर वर्ष की प्रथम जुलाई से आरम्भ होने वाली बारह मास की अवधि से है।

भाग–दो संवर्ग

सेवा का संवर्ग

4—(1) सेवा की सदस्य संख्या उतनी होगी जितनी राज्यपाल द्वारा समय-समय पर अवधारित की जाय।

(2) सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक प्रवर्ग के पदों की संख्या जब तक कि उप नियम (1) के अधीन उसमें परिवर्तन करने के आदेश न दिये जायं, परिशिष्ट "क" में दी गई, परन्तु—

(1) नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को बिना भरे हुए छोड़ सकता है, या राज्यपाल उसे प्रास्थगित रख सकते हैं, जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार न होगा।

(2) राज्यपाल ऐसे अतिरिक्त स्थायी या अस्थायी पदों का सृजन कर सकते हैं, जिन्हें वह उचित समझें।

भाग–तीन भर्ती

भर्ती का स्रोत

5—सेवा के विभिन्न प्रवर्गों के पदों पर भर्ती निम्नलिखित स्रोतों से की जायगी

(एक) ज्येष्ठ लिपिक	..	स्थायी कनिष्ठ लिपिकों, लेखा लिपिकों और अभिलेख लिपिकों में से अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा।
(दो) सहायक लेखपाल		
(तीन) निम्न श्रेणी लिपिक		सीधी भर्ती और समय-समय पर यथा संशोधित अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्ग (सीधी भर्ती) नियमावली, 1975 के उपबन्धों के अनुसार पदोन्नति द्वारा।
(चार) लेखा लिपिक		
(पांच) अभिलेख लिपिक		

टिप्पणी:—पदोन्नति के प्रयोजनार्थ एक संयुक्त ज्येष्ठता सूची तैयार की जायगी जिसमें व्यक्तियों के नाम उनकी मौलिक नियुक्ति के दिनांक के आधार पर रखे जायेंगे।

आरक्षण

6—अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य प्रवर्गों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण भर्ती के समय प्रवृत्त सरकारी आदेशों के अनुसार किया जायगा।

भाग–चार अर्हताएं

राष्ट्रिकता

7—सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी :

(क) भारत का नागरिक हो, या

(ख) तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी रूप से निवास करने के अभिप्राय से 1 जनवरी, 1962 के पूर्व भारत आया हो, या

(ग) भारतीय उद्भव का ऐसा व्यक्ति हो, जिसने भारत में स्थाई रूप में निवास करने के अभिप्राय से पाकिस्तान, वर्मा, श्रीलंका, या केनिया, उगाण्डा और यूनाइटेड रिपब्लिकन आफ़ तंजानिया (पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीबार) के किसी पूर्वी अफ्रीकी देश से प्रव्रजन किया हो :

परन्तु उपर्युक्त प्रवर्ग (ख) या (ग) का अभ्यर्थी ऐसा व्यक्ति होना चाहिये जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण-पत्र जारी किया गया हो:

परन्तु यह और कि प्रवर्ग (ख) के अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जायगी कि वह पुलिस उपमहानिरीक्षक, गुप्तचर शाखा, उत्तर प्रदेश से पात्रता का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर ले :

परन्तु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त प्रवर्ग (ग) का हो तो पात्रता का प्रमाण-पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए जारी नहीं किया जायगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि के आगे सेवा में तभी रखा जा सकेगा यदि उसने भारतीय नागरिकता प्राप्त कर ली हो।

टिप्पणी—ऐसे अभ्यर्थी को, जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण-पत्र आवश्यक हो, किन्तु न तो वह जारी किया गया हो और न देने से इन्कार किया गया हो, लिखी परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित किया जा सकता हो और उसे इस शर्त पर अन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है कि आवश्यक प्रमाण-पत्र उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जाय या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाय।

शैक्षिक अर्हतायें

8—लेखा लिपिक, अभिलेख लिपिक या कनिष्ठ लिपिक के पद पर सीधी भर्ती या पदोन्नति के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्ग (सीधी भर्ती) नियमावली 1975 में विहित शैक्षिक योग्यता रखता हो।

अधिमानी अर्हता

9—ऐसे अभ्यर्थी को—

(1) जिसने प्रादेशिक सेना में दो वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो, या

(2) जिसने राष्ट्रीय छात्र सेना का "बी" प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो, अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामलों में अधिमान दिया जायगा।

आयु

10—लेखालिपिक, अभिलेख लिपिक या कनिष्ठ लिपिक के पद पर सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी की आयु अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्ग (सीधी भर्ती) नियमावली, 1975 में विहित आयु सीमा के अन्तर्गत होनी चाहिये। परन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसे अन्य प्रवर्गों के, जो सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किये जायें, अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी विनिर्दिष्ट की जाय।

चरित्र

11—सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा हो चाहिये कि वह सरकारी सेवा में नियोजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो सके। नियुक्ति प्राधिकारी इस संबंध में अपना समाधान करेगा।

टिप्पणी —संघ सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा या संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण में किसी स्थानीय प्राधिकारी या किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध व्यक्ति भी पात्र न होंगे।

वैवाहिक प्रास्थिति

12—सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र न होगा जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र न होगी जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो जिसकी पहले से एक पत्नी जीवित हो।

परन्तु राज्यपाल किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकते हैं, यदि उनका समाधान हो जाय कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्यमान है।

शारीरिक स्वास्थ्यता

13—किसी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जायगा जब तक कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो और वह किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त न हो जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना हो। किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए अन्तिम रूप से अनुमोदित किये जाने के पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायगी कि वह फ़ण्डामेन्टल रूल 10 के अधीन बनाये गये और फ़ाइनेन्शियल हैण्डबुक, खण्ड दो, भाग दो से चार के अध्याय तीन में दिये गये नियमों के अनुसार स्वस्थता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करें।

परन्तु पदोन्नति द्वारा भर्ती किये गये अभ्यर्थी से स्वस्थता प्रमाण-पत्र की अपेक्षा नहीं की जायगी।

भाग—पांच भर्ती की प्रक्रिया

रिक्तियों का अवधारण

14—नियुक्त प्राधिकारी वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या और नियम 6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य प्रवर्गों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा। सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पदों की सूचना सचिव, जिला चयन समिति को दी जायगी।

लेखा लिपिक अभिलेखा लिपिक, और कनिष्ठ लिपिक के पद पर भर्ती की प्रक्रिया

15—भर्ती अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्ग (सीधी भर्ती) नियमावली 1975 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की जायगी ।

सहायक लेखापाल और ज्येष्ठ लिपिक के पदों पर पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया

16—(1) पदोन्नति द्वारा भर्ती अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर चयन समिति के माध्यम से की जायगी, जिसमें निम्नलिखित होंगे:—

(एक) अपर जिला मजिस्ट्रेट (विकास)/जिला विकास अधिकारी अध्यक्ष,

(दो) जिला हरिजन और समाज कल्याण अधिकारी सदस्य,

(तीन) जिला पंचायत राज अधिकारी सदस्य/सचिव,

2—नियुक्ति प्राधिकारी ज्येष्ठता के क्रम में अभ्यर्थियों की एक पात्रता सूची तैयार करेगा और उसे उनकी चरित्र पंजियों और उनसे सम्बन्धित ऐसे अन्य अभिलेख के साथ जो उचित समझे जायं, चयन समिति के समक्ष रखेगा ।

3—चयन समिति उप नियम (2) में निर्दिष्ट अभिलेखों के आधार पर अभ्यर्थियों के मामलों पर विचार करेगी और यदि वह आवश्यक समझे तो वह अभ्यर्थियों का साक्षात्कार भी कर सकती है ।

4—चयन समिति चयन किये गये अभ्यर्थियों की ज्येष्ठता क्रम में एक सूची तैयार करेगी और उसे नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगी ।

भाग-छः—नियुक्ति, परिवीक्षा, ज्येष्ठता और स्थायीकरण

नियुक्ति

17—(1) मौलिक रिक्तियां होने पर नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों को उस क्रम से लेकर जिसमें उनके नाम, यथास्थिति, नियम 15 और 16 के अधीन तैयार की गयी सूचियों में हो, नियुक्तियां करेगा ।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी अस्थायी और स्थानापन्न रिक्तियों में भी उप नियम (1) में निर्दिष्ट सूचियों से नियुक्तियां कर सकता है । यदि इन सूचियों का कोई अभ्यर्थी उपलब्ध न हो तो वह इस नियमावली के अधीन नियुक्ति के लिए पात्र व्यक्तियों में से ऐसी रिक्तियों में नियुक्तियां कर सकता है ।

परन्तु ऐसी नियुक्तियां छः माह से अनधिक अवधि के लिए या इस नियमावली के अधीन आगामी चयन किये जाने तक, इनमें जो भी पहले हो, की जायगी ।

परिवीक्षा

18—(1) सेवा में किसी पद पर मौलिक रिक्ति में या उसके प्रति नियुक्त किये जाने पर प्रत्येक व्यक्ति को दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रखा जायगा ।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किये जायेंगे, अलग-अलग मामलों में परिवीक्षा अवधि को बढ़ा सकता है जिसमें ऐसा दिनांक विनिर्दिष्ट किया जायगा, जब तक कि अवधि बढ़ायी जाय:

परन्तु अपवादिक कारणों के सिवाय परिवीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक और किसी भी परिस्थिति में दो वर्ष की सीमा से अधिक नहीं बढ़ायी जायगी ।

(3) यदि परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके अन्त में नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है या वह संतोष प्रदान करने में अन्यथा विफल रहा है तो उसे उसके मौलिक पद पर यदि कोई हो, प्रत्यावर्तित किया जा सकता है और यदि उसका किसी पद पर धारणाधिकार न हो, तो उसकी सेवायें समाप्त की जा सकती हैं ।

(4) ऐसा परिवीक्षाधीन व्यक्ति जिसे उपनियम (3) के अधीन प्रत्यावर्तित किया जाय या जिसकी सेवायें समाप्त की जायं, किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा ।

स्थायीकरण

19—किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के अन्त में, उसकी नियुक्ति में स्थायी कर दिया जायगा, यदि—

(क) उसका कार्य और आचरण संतोषजनक बताया जाय,

(ख) उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित कर दी जाय, और

(ग) नियुक्ति प्राधिकारी का यह समाधान हो जाय कि वह स्थायीकरण के लिए अन्यथा उपयुक्त है ।

ज्येष्ठता

20.—किसी अभ्यर्थी की ज्येष्ठता मौलिक नियुक्ति के दिनांक से और यदि दो या अधिक व्यक्ति एक साथ नियुक्त किये जाते हैं तो उस क्रम से, जिसमें उनके नाम नियुक्ति के आदेश में रखे गये हों, अवधारित की जायगी,

परन्तु (एक) सेवा में सीधे नियुक्त किये गये व्यक्तियों की पारस्परिक ज्येष्ठता वही होगी जो चयन के समय अवधारित की गयी हो।

(दो) सेवा में पदोन्नति द्वारा नियुक्त किये गये व्यक्तियों की पारस्परिक ज्येष्ठता वही होगी जो पदोन्नति के समय उनके द्वारा धृत मौलिक पद पर रही हो।

टिप्पणी—सीधे भर्ती किया गया कोई अभ्यर्थी अपनी ज्येष्ठता खो सकता है यदि किसी रिक्त पद का उसे प्रस्ताव किये जाने पर वह विधिमान्य कारणों के बिना कार्यभार ग्रहण करने में विफल रहे। कारणों के विधिमान्यता के सम्बन्ध में नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अन्तिम होगा।

भाग—सात वेतन, इत्यादि

वेतनमान

21.—(1) सेवा में पदों पर चाहे मौलिक या स्थानापन्न रूप से या अस्थायी आधार पर, नियुक्त व्यक्तियों का अनुक्रम वेतनमान ऐसा होगा, जो सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित किया जाय।

(2) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय सेवा में पदों का वेतनमान ज्येष्ठ लिपिक और सहायक लेखापाल के लिए 230-6-290-द0 रो0-9-335-द0 रो0-10-385 रु0 और कनिष्ठ लिपिक लेखा लिपिक और अभिलेख लिपिक के लिए 200-5-250 द0 रो0-6-280-द0रो0-8-320 रु0 होगा।

परिवीक्षा अवधि में वेतन

22.—(1) फण्डामेन्टल रूल्स में किसी प्रतिकूल उपबन्ध के होते हुए भी, परिवीक्षाधीन व्यक्ति को यदि वह पहले से स्थायी सरकारी सेवा न हो, समयमान में उसकी प्रथम वेतनवृद्धि तभी दी जायगी जब उसने एक वर्ष की संतोषप्रद सेवा पूरी कर ली हो और द्वितीय वेतनवृद्धि दो वर्ष की सेवा के पश्चात् तभी दी जायगी जब उसने परिवीक्षा अवधि पूरी कर ली हो, और उसे स्थायी भी कर दिया गया हो :

परन्तु यदि संतोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ायी जाय तो इस प्रकार बढ़ायी गयी अवधि की गणना वेतन वृद्धि के लिए तब तक नहीं की जायगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निदेश न दे।

(2) ऐसे व्यक्ति का जो पहले से सरकार के अधीन कोई पद धारण कर रहा हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन सुसंगत फण्डामेन्टल रूल्स द्वारा विनियमित होगा :

परन्तु यदि संतोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ायी जाय तो इस प्रकार बढ़ायी गयी अवधि की गणना वेतन वृद्धि के लिए तब तक नहीं की जायगी जब कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निदेश न दे।

(3) ऐसे व्यक्ति का जो पहले से स्थायी सरकारी सेवा में हों, परिवीक्षा अवधि में वेतन राज्य के कार्यकलाप के सम्बन्ध में सामान्यतया सेवारत सरकारी सेवकों पर लागू सुसंगत नियमों द्वारा विनियमित होगा।

23.—(1) सहायक लेखापाल को—

दक्षतारोक पार करने का मानदंड

(एक) प्रथम दक्षतारोक पार करने की अनुमति तब तक नहीं दी जायगी जब तक कि वह लेखा रखने में प्रवीण न हो, उसे लेखा नियमों का ज्ञान न हो, उसका कार्य और आचरण संतोषजनक न हो और जब तक कि उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित न कर दी जाय।

(दो) द्वितीय दक्षतारोक पार करने की अनुमति तब तक नहीं दी जायगी जब तक कि उसे लेखा कार्य का स्वतंत्र प्रभार संभालने के योग्य न पाया जाय और वह अपने अधीन कार्य करने वाले कनिष्ठ लिपिकों के कार्य का पर्यवेक्षण न कर सके, उसका कार्य और आचरण संतोषजनक न पाया जाय और जब तक कि उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित न कर दी जाय।

(2) ज्येष्ठ लिपिक को—

(एक) प्रथम दक्षतारोक पार करने की अनुमति तब तक नहीं दी जायगी जब तक कि उसने कार्यालय के नियमों और प्रक्रिया को पूर्ण ज्ञान अर्जित न कर लिया हो, उसका कार्य और आचरण संतोषजनक न पाया जाय और

(दो) द्वितीय दक्षता रोक पार करने की अनुमति तब तक नहीं दी जायगी जब तक वह कार्यालय का स्वतन्त्र प्रभार संभालने के योग्य न हो और अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के कार्य का परिवेक्षण न कर सके और उसका कार्य और आचरण संतोषजनक न पाया जाय और जब तक कि उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित न कर दी जाय ।

3—लेखालिपिक को—

(एक) प्रथम दक्षता रोक पार करने की अनुमति तब तक नहीं दी जायगी जब तक कि उसने लेखा सम्बन्धित नियमों और विनियमों का पर्याप्त ज्ञान अर्जित न कर लिया हो उसका कार्य और आचरण संतोषजनक न पाया जाय और जब तक कि उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित न कर दी जाय ।

(दो) द्वितीय दक्षता रोक पार करने की अनुमति तब तक नही दी जायगी जब तक कि उसने लेखा नियमों और लेखा रखने में प्रवीणता प्राप्त न कर ली हो, वह सहायक लेखापाल के पद पर पदोन्नति के लिए उपयुक्त न हो जाय, उसका कार्य और आचरण संतोषजनक न पाया जाय और जब तक कि उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित न कर दी जाय ।

4—अभिलेखा लिपिक—

(एक) प्रथम दक्षता रोक पार करने की अनुमति तब तक नहीं दी जायगी जब तक कि उसने अभिलेखों के परेषण और उनकी छंटाई से सम्बन्धित और सामान्य कार्यालय की प्रक्रिया साथ-साथ टिप्पणी लिखने और आलेख्य तैयार करने और पत्र व्यवहार का ज्ञान अर्जित न कर लिया हो उसका कार्य और आचरण संतोषजनक न पाया जाय और जब तक कि उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित न कर दी जाय।

(दो) द्वितीय दक्षता रोक पार करने की अनुमति तब तक नहीं दी जायगी जब तक कि उसने कार्यालय क्रिया में प्रवीणता प्राप्त न कर ली हो और वह सहायक लेखापाल/ज्येष्ठ लिपिक के पद पर पदोन्नति के लिए योग्य न हो जाय, उसका कार्य और आचरण संतोषजनक न पाया जाय और जब तक कि उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित न कर दी जाय ।

5—कनिष्ठ लिपिक को—

(एक) प्रथम दक्षता रोक पार करने की अनुमति तब तक नहीं दी जायगी जब तक कि उसने कार्यालय प्रक्रिया के साथ-साथ टिप्पणी लिखने और आलेख्य तैयार करने और सामान्य पत्र व्यवहार का पर्याप्त ज्ञान अर्जित न कर लिया हो, उसका कार्य और आचरण संतोषजनक न पाया जाय और जब तक कि उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित न कर दी जाय,

(दो) द्वितीय दक्षता रोक पार करने की अनुमति तब तक नहीं दी जायगी जब तक कि उसने कार्यालय के नियमों और विनयमों में प्रवीणता न प्राप्त कर ली हो और वह सहायक लेखापाल/ज्येष्ठ लिपिक के पद पर पदोन्नति के लिए योग्य न हो जाय और उसका कार्य और आचरण संतोषजनक न पाया जाय और जब तक कि उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित न कर दी जाय ।

भाग आठ—अन्य उपबन्ध

पक्ष समर्थन

24—सेवा में पदोन्नत पर लागू नियमों के अधीन अपेक्षित सिफारिश से भिन्न किसी अन्य सिफारिश पर, चाहे लिखित हो, या मौखिक, विचार नहीं किया जायगा । अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास उस नियुक्ति के लिए अनर्ह कर देगा ।

अन्य विषयों का विनियमन

25—ऐसे विषयों के सम्बन्ध में जो विनिर्दिष्ट रूप से इस नियमावली या विशेष आदेशों के अन्तर्गत न आते हों, सेवा में नियुक्त व्यक्ति राज्य के कार्यकलाप के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू नियमों, विनियमों और आदेशों द्वारा शासित होंगे ।

सेवा की शर्तों में शिथिलता

26—जहां राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि सेवा में नियुक्त किसी व्यक्ति को सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशिष्ठ मामले में अनुचित कठिनाई होती है वहां वह उस मामले में लागू नियमों में किसी बात के होते हुए भी आदेश द्वारा उस नियम को अपेक्षाओं को उस सीमा तक और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जिन्हें वह मामले में न्याय संगत और सम्पूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिए आवश्यक समझे अभिमुक्त या शिथिल कर सकती है ।

व्यावृत्ति

27—इस नियमावली में किसी बात का ऐसे आरक्षण और अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा जिनकी राज्य सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए व्यवस्था करना अपेक्षित हो ।

आज्ञा से,

शमशाद अहमद,
आयुक्त एवं सचिव ।

परिशिष्ट "क"

पंचायत अधीनस्थ लिपिक वर्ग सेवा के अधीन सेवा की सदस्य संख्या और विभिन्न प्रवर्ग के पदों की संख्या

क्रम-संख्या	पद का नाम	पदों की संख्या			वेतनमान
		स्थायी	अस्थायी	योग	
1	सहायक लेखापाल (ज्येष्ठ वेतनमान) ..	51	2	53	230–6–290–द0 रो0–9–335–द0 रो0–10–385 रु0।
2	ज्येष्ठ लिपिक (ज्येष्ठ वेतनमान) ..	3	2	5	230–6–290–द0 रो 0–9–335–द0 रो0–10–385 रु0।
3	लेखालिपिक (कनिष्ठ वेतनमा ..	50	2	52	200–5–250–द0 रो0–6–280–द0 रो0–8–320 रु0।
4	अभिलेख लिपिक (कनिष्ठ वेतनमान) ..	54	..	54	200–5–250–द0 [illegible]–6–[illegible]0–[illegible]8–320 रु0।
	कनिष्ठ लिपिक कनिष्ठ वेतनमान) ..	..	6	6	200–5–250–द0 रो0–6–280–द [illegible]रो0–8–320 रु0।
	[illegible]ल सदस्य संख्या ..	158	12	170	

एपेन्डिक्स 'बी'

उत्तर प्रदेश शासन

नियक्ति अनुभाग--4

संख्या 43/90/66 नियुक्ति–4

लखनऊ, 18 जुलाई, 1972

कार्यालय-ज्ञाप

राज्याधीन सेवाओं को सीधी भर्ती में विभिन्न वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए शासन द्वारा समय-समय पर आरक्षण प्रदान किया गया है। अनुसूचित जातियों के लिए समस्त सेवाओं में 18 प्रतिशत का आरक्षण किया गया है जिसे वर्ग 3 की लिपिक वर्गीय तथा वर्ग 4 की सेवाओं में बढ़ाकर तब तक के लिए क्रमशः 25 तथा 45 प्रतिशत कर दिया गया है जब तक कि इन सेवाओं में उनका 18 प्रतिशत का कोटा पूरा न हो जाय। अनुसूचित जन जातियों के लिए समस्त सेवाओं में 2 प्रतिशत, सेना सेवा से विमुक्त इमरजेन्सी कमीशन्ड/शार्ट सर्विस कमीशन्ड अफसरों के लिए वर्ग 2 की ऐसी अप्राविधिक सेवाओं में जिनमें प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर भर्ती होती है 20 प्रतिशत सेना सेवा में भर्ती हुए ग्रेजुएट डाक्टरों तथा इंजीनियरों के लिए मेडिकल तथा इंजीनियरिंग सेवाओं में 50 प्रतिशत का आरक्षण मौजूद है। इसके अतिरिक्त राज्याधीन सेवाओं में सेना सेवा से विमुक्त कर्मचारियों को वर्ग 3 और वर्ग 4 की सेवाओं में, स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों के आश्रितों तथा अपंग व्यक्तियों (फिजिकल-हैन्डीकैप्ड) के लिए आरक्षण और प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। कुछ समय पहले उच्चतम न्यायालय द्वारा एक मामले में फैसला देते हुए यह मत भी व्यक्त किया गया है कि किसी भी सेवा में 50

प्रतिशत से अधिक आरक्षण संविधान के उपबन्धों के विपरीत होगा। अतः आरक्षण सम्बन्धी समस्त प्रश्न पर शासन द्वारा पुनर्विचार किया गया है तथा निम्नलिखित निर्णय किये गये हैं।

(1) किसी भी सेवा में सीधी भर्ती में अग्रेनीत (Carried forward) आरक्षित रिक्तियों को, यदि कोई हो, सम्मिलित करते हुए कुल 50 प्रतिशत से अधिक आरक्षण न रहेगा।

(2) समस्त सेवाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए क्रमशः 18 तथा 2 प्रतिशत का आरक्षण होगा किन्तु वर्ग 3 की लिपिक वर्गीय तथा वर्ग 4 की सेवाओं में अनुसूचित जातियों के लिए क्रमशः 25 तथा 36 प्रतिशत आरक्षण तब तक रहेगा जब तक कि उनका इन सेवाओं में 18 प्रतिशत कोटा पूरा न हो जाय।

(3) वर्ग–2 की ऐसी अप्राविधिक सेवाओं में जिनमें प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर भर्ती होती है।

(1) सेना के विकलांग आफिसरों तथा इमर्जेन्सी कमीशन्ड/शार्ट सर्विस कमीशन्ड आफिसरों के लिए तथा

(2) स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों के आश्रितों के लिए दस-दस प्रतिशत का आरक्षण होगा।

(4) राज्याधीन मेडिकल तथा इन्जीनियरिंग सेवाओं में (1) सेना से विमुक्त ग्रेजुएट डाक्टरों के तथा ग्रेजुएट इंजीनियरों के लिए और (2) स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों के आश्रितों त्येक के लिए 12 1/2 प्रतिशत का आरक्षण होगा।

(5) वर्ग 3 की समस्त सेवाओं में (1) सेना के विकलांग कर्मचारियों तथा (2) स्वतंत्रता संग्राम के नानियों के आश्रितों प्रत्येक के लिए दस प्रतिशत तथा वर्ग 4 की सेवाओं में प्रत्येक के लिए 5 प्रतिशत का आरक्षण रहेगा।

(6) राज्याधीन समस्त सेवाओं में अक्षम व्यक्तियों (फिजिकल-हैण्डीकैप्ड) के लिए 2 । तिशत का आरक्षण रहेगा।

2- –आप से निवेदन है कि सेवाओं में आरक्षण सम्बन्धी नीति का तदनुसार अनुसरण किया जाये।

अयोध्या प्रसाद दीक्षित,
सचिव।

ऐपन्डिक्स 'ए'

उत्तर प्रदेश शासन
नियुक्ति अनुभाग--4

संख्या 43/9/66 नियुक्ति–4
लखनऊ, 17 नवम्बर, 1972

कार्यालय ज्ञाप

राज्याधीन सेवाओं की सीधी भर्ती में विभिन्न वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या 43/90–66–नियुक्ति–4, दिनांक 18 जुलाई, 1972 द्वारा जारी किये गये आदेशों में आइटम (5) के अन्तर्गत वर्ग 3 व 4 की समस्त सेवाओं में आरक्षण के वर्तमान प्राविधान के स्थान पर निम्नांकित पढ़ा जाय:––

(5) वर्ग-3 की समस्त सेवाओं में (1) सेना के विकलांग एवं सेना से वियोजित कर्मचारी/कर्मचारियों तथा (2) स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों के आश्रितों प्रत्येक के लिए दस प्रतिशत तथा वर्ग 4 की सेवाओं में प्रत्येक के लिए 5 प्रतिशत का आरक्षण रहेगा।

गौरी शंकर सिंघल,
उप सचिव।

एपन्डिक्स 'बी'

संख्या 65/2–69–रा0 एकी0

प्रेषक,

श्री सतीश चन्द्र
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

लखनऊ, दिनांक 8 मार्च, 77

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष तथा अन्य प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश ।

विषयः––पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों के लिए आरक्षण।

महोदय,

राष्ट्रीय एकीकरण अनुभाग–1

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सरकार के अधीन सीधी भर्ती द्वारा अथवा विभागीय अभ्यर्थियों तक सीमित प्रतियोगितात्मक परीक्षा द्वारा पदोन्नति से भरे जाने वाले समस्त पदों/सेवाओं में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के लिए क्रमशः 18 प्रतिशत तथा 2 प्रतिशत का आरक्षण प्रदान किया गया है, किन्तु चयन द्वारा पदोन्नति से भरे जाने वाले पदों/सेवाओं से उक्त जातियों के लिए कोई आरक्षण उपलब्ध नहीं है। राज्यपाल ने अब आदेश दिये हैं कि:––

(1) राज्याधीन पदों/सेवाओं में पूर्ण पात्रता के क्षेत्र में श्रेष्ठता के आधार पर की जाने वाली पदोन्नति के समस्त मामलों से अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिये क्रमशः 18 प्रतिशत और 2 प्रतिशत का आरक्षण किया जायगा।

(2) अनुपयुक्त को अस्वीकृत करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर की जाने वाली पदोन्नति के मामलों में आरक्षण की व्यवस्था लागू नहीं की जा सकती क्योंकि इस आधार के अन्तर्गत जो व्यक्ति ज्येष्ठ हैं तथा कार्य तथा आचरण के विचार से अनुपयुक्त नहीं है वह चुना ही जायगा।

यदि आरक्षित रिक्तियों के लिए चयन के अवसर पर अनुसूचित जाति और/अथवा अनुसूचित जनजाति के अभ्यार्थियों में उपयुक्त अभ्यर्थी पर्याप्त संख्या में नहीं मिलते और ऐसी रिक्तियों की कार्य वृद्धि से भरा जाना आवश्यक ही समझा जाता है तो उनके केवल तदर्थ आधार पर अस्थायी नियुक्तियां कर ली जायें तथा नियुक्ति के आदेशों से यह स्पष्ट भी कर दिया जाये। साथ ही उन रिक्तियों को चयन के अनुवर्ती अवसर पर अग्रेनीत (कैरीफारवर्ड) किया जाना चाहिये पर प्रतिबन्ध यह होगा कि भर्ती के वर्ष में आरम्भिक रिक्ति या तथा अग्रेनीत आरक्षित रिक्तियां केवल दो ही हो, तो उसमें से एक को आरक्षित रिक्ति समझा जा सकता है। किन्तु यदि रिक्ति केवल एक ही हो तो उसे आरक्षित (अनरिजर्व्ड) रिक्ति समझना चाहिये।

45 प्रतिशत से अधिक अधिशेष (सरप्लस) की भवन के अनुवर्ती अवसर पर अग्रेनीत किया जायगा किन्तु शर्त यह है कि अग्रनीत की गयी विशेष रिक्तियां अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के सम्बन्ध में क्रमशः दो वर्षों और पांच वर्षों से अधिक पुरानी होने के कारण काल-बाधित (टाइप बार्ड) न होने पावें।

3––पदोन्नति के समय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को उपयुक्तता अन्य सामान्य अभ्यर्थियों के साथ ही आंकी जायेगी अर्थात् उपयुक्तता का मापदण्ड सभी अभ्यर्थियों के लिए एक सा होगा जो अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी निर्धारित न्यूनतम मापदण्ड की योग्यता रखते हैं उन्हें आरक्षण की सीमा तक चुन लिया जायगा।

4––जब उपरोक्त प्रकार से आरक्षित रिक्तियों में पहले पहल अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजातियों क अभ्यर्थियों की स्थानापन्न या अस्थायी रूप से पदोन्नति की जायगी तो उनमें स्थायीकरण सामान्य नियम के अन्तर्गत होगा। आरक्षण का सिद्धांत या अस्थायी रूप से पदोन्नति किये गये लोगों का स्थायीकरण करते समय दोबारा लागू नहीं होगा।

5––राज्य सरकार द्वारा अभी तक अपनायी गयी प्रक्रिया के अनुसार वर्ग–1 और वर्ग–2 की राज्य स्तरीय सेवाओं में नियुक्तियों के सभी मामले सम्बन्धित मंत्रियों की स्वीकृत के लिए प्रस्तुत किये जाते हैं। भविष्य में वर्ग–2 के अन्य सेवाओं के साथ-साथ वर्ग–3 और वर्ग–4 की सेवाओं में, जिनमें नियुक्तियों राज्यपाल से विभिन्न प्राधिकारी द्वारा की जाती है, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के अतिक्रमण (सुपरसेशन) के मामले भी प्रशासनिक अनुभाग द्वारा संबंधित मंत्री की सूचनार्थ प्रस्तुत किये जायेंगे। अतः ऐसे सभी मामले विभागाध्यक्षों द्वारा सम्बन्धित प्रशासनिक अनुभागों को एक मास के अन्दर भेज देने चाहिये।

6––मुझे आपसे यह अनुरोध करना है कि आप अपने अधीनस्थ नियुक्ति प्राधिकारियों को शासन के उपर्युक्त निर्णयों को सक्रिय ढंग से पालन करने के आदेश अविलम्ब जारी कर दें।

7––यह आदेश तात्कालिक प्रभाव से लागू होंगे।

भवदीय,
सतीश चन्द्र,
मुख्य सचिव।

प्रतिशत से अधिक आरक्षण संविधान के उपबन्धों के विपरीत होगा। अतः आरक्षण सम्बन्धी समस्त प्रश्न पर शासन द्वारा पुनर्विचार किया गया है तथा निम्नलिखित निर्णय किये गये हैं।

(1) किसी भी सेवा में सीधी भर्ती में अग्रेनीत (Carried forward) आरक्षित रिक्तियों को, यदि कोई हो, सम्मिलित करते हुए कुल 50 प्रतिशत से अधिक आरक्षण न रहेगा।

(2) समस्त सेवाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए क्रमशः 18 तथा 2 प्रतिशत का आरक्षण होगा किन्तु वर्ग 3 की लिपिक वर्गीय तथा वर्ग 4 की सेवाओं में अनुसूचित जातियों के लिए क्रमशः 25 तथा 36 प्रतिशत आरक्षण तब तक रहेगा जब तक कि उनका इन सेवाओं में 18 प्रतिशत कोटा पूरा न हो जाय।

(3) वर्ग–2 की ऐसी अप्राविधिक सेवाओं में जिनमें प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर भर्ती होती है।

(1) सेना के विकलांग आफिसरों तथा इमर्जेन्सी कमीशन्ड/शार्ट सर्विस कमीशन्ड आफिसरों के लिए तथा

(2) स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों के आश्रितों के लिए दस-दस प्रतिशत का आरक्षण होगा।

(4) राज्याधीन मेडिकल तथा इन्जीनियरिंग सेवाओं में (1) सेना से विमुक्त ग्रेजुएट डाक्टरों के तथा ग्रेजुएट इंजीनियरों के लिए और (2) स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों के आश्रितों प्रत्येक के लिए 12 1/2 प्रतिशत का आरक्षण होगा।

(5) वर्ग 3 की समस्त सेवाओं में (1) सेना के विकलांग कर्मचारियों तथा (2) स्वतंत्रता संग्राम के नानियों के आश्रितों प्रत्येक के लिए दस प्रतिशत तथा वर्ग 4 की सेवाओं में प्रत्येक के लिए 5 प्रतिशत का आरक्षण रहेगा।

(6) राज्याधीन समस्त सेवाओं में आम व्यक्तियों (फिजिकल-हैण्डीकैप्ड) के लिए 2 । तिशत का आरक्षण रहेगा।

2- –आप से निवेदन है कि सेवाओं में आरक्षण सम्बन्धी नीति का तदनुसार अनुसरण किया जाये।

अयोध्या प्रसाद दीक्षित,
सचिव।

ऐपन्डिक्स 'ए'

उत्तर प्रदेश शासन
नियुक्ति अनुभाग–4

संख्या 43/9/66 नियुक्ति–4
लखनऊ, 17 नवम्बर, 1972

कार्यालय ज्ञाप

राज्याधीन सेवाओं की सीधी भर्ती में विभिन्न वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या 43/90–66–नियुक्ति–4, दिनांक 18 जुलाई, 1972 द्वारा जारी किये गये आदेशों में आइटम (5) के अन्तर्गत वर्ग 3 व 4 की समस्त सेवाओं में आरक्षण के वर्तमान प्राविधान के स्थान पर निम्नांकित पढ़ा जाय:––

(5) वर्ग-3 की समस्त सेवाओं में (1) सेना के विकलांग एवं सेना से वियोजित कर्मचारी/कर्मचारियों तथा (2) स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों के आश्रितों प्रत्येक के लिए दस प्रतिशत तथा वर्ग 4 की सेवाओं में प्रत्येक के लिए 5 प्रतिशत का आरक्षण रहेगा।

गौरी शंकर सिंघल,
उप सचिव।

एपन्डिक्स 'बी'

संख्या 65/2-69-रा0 एकी0

प्रेषक,

श्री सतीश चन्द्र
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

लखनऊ, दिनांक 8 मार्च, 77

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष तथा अन्य प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

विषयः--पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों के लिए आरक्षण।

महोदय,

राष्ट्रीय एकीकरण अनुभाग-1

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सरकार के अधीन सीधी भर्ती द्वारा अथवा विभागीय अभ्यर्थियों तक सीमित प्रतियोगितात्मक परीक्षा द्वारा पदोन्नति से भरे जाने वाले समस्त पदों/सेवाओं में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के लिए क्रमशः 18 प्रतिशत तथा 2 प्रतिशत का आरक्षण प्रदान किया गया है, किन्तु चयन द्वारा पदोन्नति से भरे जाने वाले पदों/सेवाओं से उक्त जातियों के लिए कोई आरक्षण उपलब्ध नहीं है। राज्यपाल ने अब आदेश दिये हैं किः--

(1) राज्याधीन पदों/सेवाओं में पूर्ण पात्रता के क्षेत्र में श्रेष्ठता के आधार पर की जाने वाली पदोन्नति के समस्त मामलों से अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिये क्रमशः 18 प्रतिशत और 2 प्रतिशत का आरक्षण किया जायगा।

(2) अनुपयुक्त को अस्वीकृत करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर की जाने वाली पदोन्नति के मामलों में आरक्षण की व्यवस्था लागू नहीं की जा सकती क्योंकि इस आधार के अन्तर्गत जो व्यक्ति ज्येष्ठ हैं तथा कार्य तथा आचरण के विचार से अनुपयुक्त नहीं है वह चुना ही जायगा।

यदि आरक्षित रिक्तियों के लिए चयन के अवसर पर अनुसूचित जाति और/अथवा अनुसूचित जनजाति के अभ्यार्थियों में उपयुक्त अभ्यर्थी पर्याप्त संख्या में नहीं मिलते और ऐसी रिक्तियों की कार्य वृद्धि से भरा जाना आवश्यक ही समझा जाता है तो उनके केवल तदर्थ आधार पर अस्थायी नियुक्तियां कर ली जायें तथा नियुक्ति के आदेशों से यह स्पष्ट भी कर दिया जाये। साथ ही उन रिक्तियों को चयन के अनुवर्ती अवसर पर अग्रेनीत (कैरीफारवर्ड किया जाना चाहिये पर प्रतिबन्ध यह होगा कि भर्ती के वर्ष में आरम्भिक रिक्त यां तथा अग्रेनीत आरक्षित रिक्तियां केवल दो ही हो, तो उसमें से एक को आरक्षित रिक्ति समझा जा सकता है। किन्तु यदि रिक्ति केवल एक ही हो तो उसे आरक्षित (अनरिजर्व्ड) रिक्ति समझना चाहिये।

45 प्रतिशत से अधिक अधिशेष (सरप्लस) की भवन के अनुवर्ती अवसर पर अग्रेनीत किया जायगा किन्तु शर्त यह है कि अग्रनीत की गयी विशेष रिक्तियां अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के सम्बन्ध में क्रमशः दो वर्षों और पांच वर्षों से अधिक पुरानी होने के कारण काल-बाधित (टाइप बार्ड), न होने पावे।

3--पदोन्नति के समय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को उपयुक्तता अन्य सामान्य अभ्यर्थियों के साथ ही आंकी जायेगी अर्थात् उपयुक्तता का माप दण्ड सभी अभ्यर्थियों के लिए एक सा होगा जो अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी निर्धारित न्यूनतम मापदण्ड की योग्यता रखते हैं उन्हें आरक्षण की सीमा तक चुन लिया जायगा।

4--जब उपरोक्त प्रकार से आरक्षित रिक्तियों में पहले पहल अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजातियों क अभ्यर्थियों की स्थानापन्न या अस्थायी रूप से पदोन्नति की जायगी तो उनमें स्थायीकरण सामान्य नियम के अन्तर्गत होगा। आरक्षण का सिद्धांत या अस्थायी रूप से पदोन्नति किये गये लोगों का स्थायीकरण करते समय दोबारा लागू नहीं होगा।

5--राज्य सरकार द्वारा अभी तक अपनायी गयी प्रक्रिया के अनुसार वर्ग-1 और वर्ग-2 की राज्य स्तरीय सेवाओं में नियुक्तियों के सभी मामले सम्बन्धित मंत्रियों की स्वीकृत के लिए प्रस्तुत किये जाते हैं। भविष्य में वर्ग-2 के अन्य सेवाओं के साथ-साथ वर्ग-3 और वर्ग-4 की सेवाओं में, जिनमें नियुक्तियां राज्यपाल से विभिन्न प्राधिकारी द्वारा की जाती है, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के अतिक्रमण (सुपरसेशन) के मामले भी प्रशासनिक अनुभाग द्वारा संबंधित मंत्री की सूचनार्थ प्रस्तुत किये जायेंगे। अतः ऐसे सभी मामले विभागाध्यक्षों द्वारा सम्बन्धित प्रशासनिक अनुभागों को एक मास के अन्दर भेज देने चाहिये।

6--मुझे आपसे यह अनुरोध करना है कि आप अपने अधीनस्थ नियुक्ति प्राधिकारियों को शासन के उपर्युक्त निर्णयों को सक्रिय ढंग से पालन करने के आदेश अविलम्ब जारी कर दें।

7--यह आदेश तात्कालिक प्रभाव से लागू होंगे।

भवदीय,
सतीश चन्द्र,
मुख्य सचिव।

एपेन्डिक्स 'बी'

संख्या 15/5/1973–रा० एकी०

प्रेषक,

श्री भैरव दत्त सनवाल,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष तथा
प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

लखनऊ, दिनांक 20 मार्च, 1974 ई०।

विषयः––अनुपयुक्त को अस्वीकृत करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर की जाने वाली पदोन्नति के मामलों में अनुसूचित जातियों/जनजातियों के लिए आरक्षण।

महोदय,

राष्ट्रीय एकीकरण अनुभाग

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सरकार के अधीन सेवाओं/पदों पूर्ण पात्रता के क्षेत्र में श्रेष्ठता के आधार पर की जाने वाली पदोन्नति के समस्त मामलों में शासकीय आदेश संख्या 65/2/69–रा० एकी० दिनांक 8 मार्च, 1973 द्वारा अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए क्रमशः 18 प्रतिशत और 2 प्रतिशत के आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। शासन ने मामलों पर पुनः गम्भीरता पूर्वक विचार करने के पश्चात् अब यह निर्णय लिया है कि अनुपयुक्त को अस्वीकृत करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर की जाने वाली पदोन्नतियों में भी उक्त जातियों के लिए क्रमशः 18 प्रतिशत तथा 2 प्रति । का आरक्षण रहेगा। यह आरक्षण केवल ऐसी-ऐसी सेवाओं/पदों में होगा। जिसमें सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति की व्यवस्था 50 प्रतिशत से अधिक न हो। अतएव शासकीय आदेश संख्या 65/2/69–रा० एकी०, दिनांक 8 मार्च 1973 के पैरा 1 का मद (2) तदनुसार संशोधित समझा जाये। आरक्षण की इन व्यवस्थाओं के साथ नियमों एवं आदेशों में दिये गये प्राविधानों के अनुसार पदोन्नति की जायगी।

2––जो अभ्यर्थी ज्येष्ठता पर आधारित उक्त पदोन्नति के लिए सर्वथा पात्र एवं अर्ह होगा तथा अनुपयुक्त न पाया जायगा उसको आरक्षण की सीमा तक चुन लिया जायगा। विभाग में होने वाली कुल रिक्तियों की संख्या सामान्य अभ्यर्थी तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण के अनुसार निर्धारित की जायगी। तदुपरान्त निर्धारित संख्या तक सामान्य अभ्यर्थी, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के अभ्यर्थियों का चुनाव अलग-अलग बनाई गई उनकी सूचियों के अनुपयुक्त छोड़ते हुए ज्येष्ठता के आधार पर किया जायगा। चुने हुए अभ्यर्थियों के नाम उनके मूल पद पर पारस्परिक ज्येष्ठता (Inter se-senority) के अनुसार पुनः व्यवस्थित कर लिए जायेंगे तीन प्रकार के अभ्यर्थियों की सूची ली जायगी और अभ्यर्थियों के नाम और उनके मूल पद पर पारस्परिक ज्येष्ठता (Inter se-seneority) के अनुसार पुनः व्यवस्थित कर लिये जायेंगे और रिक्तियों के विरुद्ध पदोन्नतियां उसी क्रम में की जायेंगी।

यह आदेश तात्कालिक प्रभाव से लागू समझे जायेंगे। इन आदेशों के अनुसार संबंधित सेवा नियमों में आवश्यक संशोधन की कार्यवाही कृपया शीघ्र की जाय।

भवदीय
भैरव दत्त सनवाल,
मुख्य सचिव।

एपेन्डिक्स 'बी'

संख्या 15/5/1973–रा0 एकी0

प्रेषक,

भैरव दत्त सनवाल,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष, तथा
प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ, दिनांक 27, दिसम्बर, 1974।

विषय:—अनुपयुक्त को अस्वीकृत करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर की जाने वाली पदोन्नति के मामलों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों के लिए आरक्षण।

महोदय,

मुझे उपरोक्त विषयक शासनादेश संख्या 15/5/1973–रा0 एकी0 दिनांक 20 मार्च, 1974 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करने का निदेश हुआ है जिसमें यह कहा गया था कि अनुपयुक्त को अस्वीकृत करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर की जाने वाली पदोन्नतियों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों के लिए क्रमशः 18 प्रतिशत तथा 2 प्रतिशत का आरक्षण केवल ऐसी सेवाओं/पदों म होगा जिनमें सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति की व्यवस्था 50 प्रतिशत से अधिक न हो। इस सम्बन्ध में पुनर्विचार के बाद शासन ने यह प्रतिबन्ध कि यह आरक्षण केवल ऐसी सेवाओं/पदों में होगा जिसमें सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति की व्यवस्था 50 प्रतिशत से अधिक न हो, हटा दिया है। उक्त शासनादेशानुसार तदनुसार संशोधित समझा जायगा और अब इन जातियों को सभी सेवाओं/पदों में पदोन्नति के मामले में आरक्षण प्राप्त होगा।

2—यह आदेश तात्कालिक प्रभाव से लागू होंगे। इन आदेशों के अनुसार संबंधित सेवा नियमों से आवश्यक संशोधन की कार्यवाही कृपया यथा शीघ्र की जाये।

भवदीय,
भैरव दत्त सनवाल,
मुख्य सचिव।

एपेन्डिक्स 'बी'

उत्तर प्रदेश शासन

नियुक्ति अनुभाग–4

संख्या बी–52/दो–4/75, नियुक्ति–4

लखनऊ, 11 फरवरी, 1975

कार्यालय-ज्ञाप

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि नियुक्ति अनुभाग–4 के शासनादेश संख्या 33/3/1973 नियुक्ति–4, दिनांक 7 नवम्बर, 1974 में यह निदेश दिये गये हैं कि वर्ग–3 की सेवाओं में जो लोक सेवा आयोग के कार्य-क्षेत्र के बाहर है, जब तक अनुसूचित जातियों के लिए प्रतिनिधित्व 9 प्रतिशत नहीं हो जाता है तब तक उनके लिए 45 प्रतिशत का आरक्षण रहेगा। इसी प्रकार अनुसूचित जनजातियों के लिए उक्त सेवाओं में जब तक 2 प्रतिशत का आरक्षण पूरा नहीं हो जाता तब तक उनके लिए 5 प्रतिशत का आरक्षण रहेगा। इन आदेशों के अंतर्गत अन्य वर्गों के लिए पूर्व में किए गए आरक्षण के प्राविधान स्थगित रहेंगे जब तक कि अनुसूचित जातियों के लिए 9 प्रतिशत तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए 2 प्रतिशत का आरक्षण पूरा नहीं हो जाय।

2—शासन ने कुशल खिलाड़ियों को भी राज्याधीन वर्ग–3 की सेवाओं में आरक्षण देने का निश्चय किया है। अतः यह फैसला किया गया है कि:—

(1) वर्ग–3 की सेवाओं में और पदों पर जो लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर हैं, वर्गीकृत खेलों के कुशल खिलाड़ियों लिए, जो निर्धारित फार्म में प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे, प्रतिशत का आरक्षण ऐसे सभी कार्यालयों में होगा, जहां अनुसूचित के जातियों के लिए 9 प्रतिशत तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए 2 प्रतिशत का प्रतिनिधित्व पूरा हो चुका है।

(2) कुशल खिलाड़ियों के लिए उक्त सेवाओं में अधिकतम आयु सीमा से पांच वर्ष की छूट रहेगी।

(3) वर्गीकृत खेलों के नाम अनुलग्नक "क" प्रमाण पत्र देने के लिए प्राधिकृत अधिकारी का नाम अनुलग्नक "ख" तथा प्रमाण पत्र के फार्म अनुलग्नक "ग" में किये गये हैं। निम्नलिखित वर्गों के खिलाड़ी कुशल समझे जायेंगे:--

(1) अनुलग्नक (क) पर दी गयी सूची में वर्णित खेल/क्रीड़ा में राष्ट्रीय प्रतियोगिता में किसी राज्य या अपने देश की ओर से भाग लेनेवाले खिलाड़ी, जिन्होंने राष्ट्रीय प्रतियोगिता में दो वर्ष तक भाग लिया हो तो अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में कम से कम एक वर्ष तक भाग लिया।

(2) अनुलग्नक "क" पर दी गयी सूची में किसी भी खेल/क्रीड़ा में अन्तरविश्वविद्यालय स्पोर्ट्स बोर्ड द्वारा आयोजित अंतरविश्वविद्यालय टूर्नामेन्ट में अपने विश्वविद्यालय की ओर से तीन वर्ष तक भाग लेने वाले खिलाड़ी।

(3) अनुलग्नक "छ" पर दी गयी सूची के किसी भी खेल/क्रीड़ा में अखिल भारतीय स्कूल खेलकूद संघ द्वारा आयोजित स्कूलों में राष्ट्रीय क्रीड़ा/खेलों में राज्य की स्कूल टीम की ओर से तीन वर्षों तक भाग लेने वाले खिलाड़ी।

(4) यह आदेश तत्कालिक प्रभाव से लागू होंगे।

आज्ञा से,
गुलाम हुसैन,
आयुक्त एवं सचिव

एपेन्डिक्स "बी"

उत्तर प्रदेश शासन

कार्मिक अनुभाग-2

संख्या 43/90/66-कार्मिक-2
लखनऊ, दिनांक 11 नवम्बर, 1975

कार्यालय-ज्ञाप

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि नियुक्ति 4-के कार्यालय ज्ञाप संख्या 43/90/66 नियुक्ति-4 दिनांक 18 जुलाई, 1972 में राज्याधीन समस्त सेवाओं की सीधी भर्ती में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अक्षम व्यक्तियों (फिजिकली हैण्डीकेप्ट) के लिए क्रमशः 19 प्रतिशत, 2 प्रतिशत तथा 2 प्रतिशत का आरक्षण प्रदान किया गया है किन्तु स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों तथा सेना के विकलांग आफिसरों तथा इमर्जेन्सी कमीशन्ड/शार्ट सर्विस कमीशन्ड आफिसरों एवं सैन्य वियोजित कर्मचारियों के लिए वेतन वर्ग 2, 3, तथा 4 में ही आरक्षण का प्राविधान है। इस बीच स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की ओर से शासन के समक्ष ऐसे प्रस्ताव आये हैं जिनमें मांग की गयी है कि अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों के ही समान उनके आश्रितों को भी वर्ग 1 की सेवाओं की सीधी भर्ती में आरक्षण प्रदान किया जाय। शासन ने अब निर्णय लिया है कि:--

राज्याधीन वर्ग 1 की सेवाओं की सीधी भर्ती में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों तथा सेना के विकलांग आफिसरों तथा इमर्जेन्सी कमीशन्ड/शार्ट सर्विस कमीशन्ड आफिसरों, प्रत्येक के लिए दस-दस प्रतिशत का आरक्षण रहेगा। इस प्रकार वर्ग 1 की सेवाओं में सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पदों पर आरक्षण की पूरी स्थिति निम्नवत् हो जायगी।

(1) अनुसूचित जातियों के लिए	18 प्रतिशत
(2) अनुसूचित जनजातियों के लिए	2 प्रतिशत
(3) समाज के अक्षम व्यक्तियों के लिए	2 प्रतिशत
(4) स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों के लिए	10 प्रतिशत
(5) सेना के विकलांग आफिसरों तथा इमर्जेन्सी कमीशन्ड/शार्ट सर्विस कमीशन्ड आफिसरों के लिए	10 प्रतिशत
	42 प्रतिशत

2--आपसे निवेदन है कि सेवाओं में आरक्षण सम्बन्धी नीति पर तद्नुसार अनुसारण किया जाये।

रमेशचन्द्र पन्त,
आयुक्त एवं सचिव।

APPENDIX 'C'

APPOINTMENT DEPARTMENT

MISCELLANEOUS

November 26, 1952

November 26, 1952.

IN exercise of the power conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, and in partial modification of the order issued in notification no. 6969/II-B—42-42, dated December 7, 1944 the Governor of Uttar Pradesh is pleased to make the following general rule regarding the age for recruitment of candidates of the Scheduled Castes to a non-gazetted service or post in connection with the affairs of Uttar Pradesh.

"Notwithstanding anything contained in any rule regarding the age of recruitment to any non-gazetted post or posts in a civil service in connection with the affairs of Uttar Pradesh, the maximum age limit shall, in the case of a candidate of the Scheduled Castes, be larger by 5 years than in the case of candidates not belonging to Scheduled Castes."

By order,
B. N. JHA,
Chief Secretary.

एपेन्डिक्स सी

संख्या 71/1-69—रा० एकी०

प्रेषक,

श्री पूरन चन्द्र पाण्डे,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष तथा अन्य प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ, अप्रैल 25, 1970।

विषयः—उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों को राज्य सेवाओं में आरक्षण तथा राज्य सेवाओं/पदों में भर्ती के संबंध में अनुसूचित जातियों के सदस्यों के समान सुविधायें प्रदान करना।

राष्ट्रीय एकीकरण विभाग-9

महोदय,

मुझे, आपका ध्यान इस विभाग के शासनादेश संख्या 65/1-69 रा०ए की०, दिनांक 23 अक्तूबर, 1969 की ओर आकृष्ट करते हुए यह निवेदन करने का निदेश हुआ है कि भारत का संविधान के अनुच्छेद 335 के अधीन अनुसूचित जनजातियों केन्द्र अथवा प्रदेश की सेवाओं/पदों में भर्ती के संबंध में अनुसूचित जातियों के समान ही माना गया है। अतः राज्यपाल ने यह निर्णय किया है कि इस आदेश के जारी होने के दिन से अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों को वे सभी सुविधायें जो अनुसूचित जातियों अभ्यार्थियों को प्राप्त है, यथा सेवाओं में आरक्षण (2) अधिकतम आयु सीमा में छूट तथा (3) लोकसेवा आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगितात्मक परीक्षाओं में चयनों की फीस में छूट दी जाय।

2—भविष्य में अनुसूचित जातियों के सदस्यों को राज्यसेवाओं/पदों में 2 प्रतिशत आरक्षण प्राप्त रहेगा और भर्ती हेतु निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जावेगी। लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगात्मक परीक्षाओं के सम्बन्ध में ली जाने वाली परीक्षा/साक्षात्कार की एक तिहाई पर ली जाया करेगी।

3—आरक्षित रिक्तियों के लिए पर्याप्त संख्या में अनुसूचित जनजातियों के उपयुक्त अभ्यर्थियों के प्राप्त न होने पर ऐसी रिक्तियों में अनारक्षित रिक्तियों के समान समझकर भर्ती उसी समान की जायगी किन्तु वर्षों के अनुवर्ती अवसरों पर अग्रनीत। (carried forward) की जायगी। इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को अनुसूचित जन-जाति के अभ्यर्थियों क लिए पांच साल की अवधि तक उपलब्ध रक्खा जायगा। तत्पश्चात् इन रिक्तियों को अनारक्षित समझा जायगा।

4—मुझे आपसे यह अनुरोध करना है कि अपने अधीनस्थ नियुक्ति प्राधिकारियों को उपयुक्त आदेशों से अवगत करावें और उन्हें सही ढंग से पालन करने का निदेश दें ताकि अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों को नियमानुसार सरकारी नौकरियों में निर्धारित स्थान मिल सकें।

5—यह आदेश वित्त विभाग के अ0 शा0 संख्या ई0-5/1/400/दस दि0 3 अप्रैल, 1970 में प्राप्त सहमति से जारी किए जा रहे हैं।

भवदीय,

पूरन चन्द्र पाण्डेय

सचिव।

एपेन्डिक्स—सी

संख्या 6/2/72—नियुक्ति—4

प्रेषक,

अयोध्या प्रसाद दीक्षित,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष तथा प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

दिनांक, लखनऊ, 14 अगस्त 197

विषयः—स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों के आश्रितों को राज्याधीन सेवाओं में तथा पदों पर भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा से छूट।

महोदय,

नियुक्ति अनुभाग-4

मुझे आपका ध्यान पार्श्वांकित शासनादेशों की ओर आकर्षित करने का निदेश हुआ है कि जिसमें स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों तथा उनके आश्रितों को राज्याधीन सेवाओं में तथा पदों पर भर्ती के लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा से 4 वर्ष तक की छूट प्रदान किए जाने का आदेश जारी किए गए थे। इन आदेशों का अतिक्रमण करते हुए राज्यपाल ने अब यह निर्णय लिया है कि राज्याधीन समस्त सेवाओं में तथा पदों पर भर्ती के लिए स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों के लिए सामान्य अभ्यर्थियों की अपेक्षा निर्धारित अधिकतम आयु सीमा 5 वर्ष अधिक होगी।

1—शासनादेश संख्या ओ0 3365/दो—1003—1947 दिनांक 1 नवम्बर 1947।

2—कार्यालय ज्ञाप संख्या 4809 दो-दो 245—1058 दि0 31 जनवरी, 1957।

भवदीय,

(ह०) अयोध्या प्रसाद दीक्षित,

सचिव।

उत्तर प्रदेश सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग (कार्मिक)

संख्या 27/2-1974—कार्मिक

लखनऊ, 29 जुलाई, 1975

अधिसूचना

संविधान के अनुच्छेद 309 के प्रतिबन्धात्मक खण्ड द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके, और इस विषय पर विद्यमान समस्त नियमों और आदेशों का अतिक्रमण करके राज्यपाल राज्य में अधीनस्थ सरकारी कार्यालयों में लिपिक वर्ग की भर्ती के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं।

अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्ग (सीधी भर्ती) नियमावली, 1975

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

(1) यह नियमावली अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्ग (सीधी भर्ती) नियमावली, 197 कहलायेगी।

(2) यह नियमावली तुरन्त प्रवृत्त होगी।

इस नियमावली का लागू होना

2—(1) इस नियमावली द्वारा राज्य विधान मण्डल, लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के नियंत्रण और अधिरक्षण में अधीनस्थ न्यायों के कार्यालयों को छोड़ कर सरकार के नियंत्रणाधीन समस्त अधीनस्थ कार्यालयों और सचिवालय में आशुलिपिकों के पद से भिन्न निम्नतम श्रेणी के लिपिक पदों की भर्ती (जिन्हें सीधी भर्ती द्वारा भरा जाना अपेक्षित हो और जो लोकसेवा आयोग के क्षेत्र से बाहर हो) नियंत्रित होगी।

(2) ऐसे लिपिक पदों को जिन पर यह नियमावली लागू होती है सभी रिक्तियों के प्रति भर्ती इस नियमावली के उपबन्धों के अनुसार की जायगी।

अन्य नियमों से असंगतता का प्रभाव

3—इस नियमावली और किसी विशिष्ट सेवा नियमों के बीच कोई असंगति होने की दशा में:

(क) इस नियमावली के उपबन्ध असंगति की सीमा तक अभिभावी होंगे यदि विशिष्ट नियम इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व बनाये गये हों,

(ख) विशिष्ट नियम के उपबन्ध उस दशा में अभिभावी होंगे यदि वे इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पश्चात बनाये जायें।

परिभाषायें

4—जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हों, इस नियमावली में—

(क) किसी अधीनस्थ कार्यालय में किसी लिपिक पद के संबंध में "नियुक्त प्राधिकारी" का निर्देश उस प्राधिकारी से जो उस पद पर संगत नियमों का आदेशों के अधीन नियुक्ति करने के लिये सशक्त हों,

(ख) "संविधान" का तात्पर्य भारत के संविधान से है,

(ग) "राज्यपाल" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से है,

(घ) "सरकार" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सरकार से है,

(ङ) "कार्यालयाध्यक्ष" का तात्पर्य किसी कार्यालय के उच्चतम राजपत्रित अधिकारी से है,

(च) "उच्च न्यायालय" का तात्पर्य उच्च न्यायालय, इलाहाबाद से है जिसके अन्तर्गत लखनऊ स्थित उसकी बेंच भी है।

(छ) "लिपिक वर्ग" का निर्देश सरकार लिपिक वर्ग से होगा जिन्हें सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त करना अपेक्षित हो,

(ज) "अधीनस्थ कार्यालय" का निर्देश सरकार के नियंत्रण के अधीन समस्त कार्यालयों और सचिवालय से होगा किन्तु इसके अन्तर्गत राज्य विधान मण्डल, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, उच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के नियंत्रण और अधीक्षण में अधीनस्थ न्यायालयों के कार्यालय नहीं है।

(झ) "भर्ती का वर्ष" का तात्पर्य किसी कलेन्डर वर्ष को प्रथम जुलाई से प्रारम्भ होने वाले बारह मास की अवधि से है।

एक जिले में सभी अधीनस्थ कार्यालयों की भर्ती एक ही माध्यम से होगी

5—एक जिले के समस्त अधीनस्थ कार्यालयों में लिपिक वर्ग को सामान्य भर्ती अनुवर्ती में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की जायगी।

चयन समिति का गठन

6—(1) राज्य सरकार द्वारा एक जिले में समस्त अधीनस्थ कार्यालयों में भर्ती के प्रयोजनार्थ समय समय पर एक चयन समिति गठित की जायेगी:

प्रतिबंध यह है कि सरकार किसी विशेष कारण से, किसी विशिष्ट जिले के संबंध में किसी एक या अधिक वर्ष के लिये एक से अधिक चयन समिति गठित कर सकती है।

(2) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय सरकार द्वारा गठित निम्नलिखित चयन समिति:—

(क) इलाहाबाद के लिए जिला चयन समिति—

(1) आबकारी आयुक्त	.. ..	अध्यक्ष
(2) अधीक्षक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री	.. ..	सदस्य
(3) ज्येष्ठतम अपर जिला मजिस्ट्रेट	.. ..	सदस्य
(4) इलाहाबाद स्थित अधीनस्थ कार्यालयों में से एक कार्यालय का विभागाध्यक्ष उनमें से भिन्न जो (1) तथा (2) में विनिर्दिष्ट है (चक्रानुक्रम से) जो प्रत्येक वर्ष सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जायगा।		सदस्य
(5) सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट जिला स्तर का अनुसूचित जाति का एक अधिकारी।		सदस्य
(6) जिला हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारी	.. ..	सदस्य
(7) क्षेत्रीय सेवायोजन अधिकारी, इलाहाबाद	..	सदस्य, सचिव

(ख) कानपुर के लिये जिला चयन समिति—

(1) आयुक्त एवं उद्योग निदेशक या अपर आयुक्त कानपुर (वर्ष 1974 के लिये आयुक्त एवं उद्योग निदेशक, वर्ष 1975 के लिये अपर आयुक्त और आगे भी इसी प्रकार चक्रानुक्रम से .. .. .. अध्यक्ष

(2) ज्येष्ठतम अपर जिला मजिस्ट्रेट .. .. सदस्य

(3) कानपुर स्थित अधीनस्थ कार्यालयों में से एक कार्यालय के विभागाध्यक्ष (उनमें भिन्न जो) तथा (2) में विनिर्दिष्ट हैं चक्रानुक्रम से (जो प्रत्येक वर्ष सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जायगा .. .. .. सदस्य

(4) सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट जिलास्तर का अनुसूचित जाति का एक अधिकारी .. .. .. सदस्य

(5) जिला हरिजन एवम् समाज कल्याण अधिकारी .. .. सदस्य

(6) क्षेत्रीय सेवा योजना अधिकारी, कानपुर .. .. सदस्य, सचिव

(ग) लखनऊ के लिये जिला चयन समिति—

(1) आयुक्त एवं सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, प्रशासनिक सुधार लखनऊ अध्यक्ष

(2) लखनऊ स्थित विभागाध्यक्षों में से चक्रानुक्रम से एक विभागाध्यक्ष (जो प्रत्येक वर्ष सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जायगा या संबद्ध विभागाध्यक्ष द्वारा नाम निर्दिष्ट कोई प्रथम श्रेणी का अधिकारी .. .. सदस्य

(3) सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट अनुसूचित जाति का प्रथम वर्ग का एक अधिकारी .. .. सदस्य

(4) जिला हरिजन एवम् समाज कल्याण अधिकारी .. सदस्य

(5) क्षेत्रीय सेवा योजना अधिकारी—लखनऊ .. .. सदस्य,

(घ) इलाहाबाद कानपुर और लखनऊ से भिन्न जिलों के लिये चयन समिति—

(1) जिला मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट नाम निर्दिष्ट कोई अपर जिला मजिस्ट्रेट .. .. अध्यक्ष

(2) डिवीजन के आयुक्त द्वारा नाम निर्दिष्ट जिले का प्रथम वर्ग का एक अधिकारी .. .. सदस्य

(3) डिवीजन के आयुक्त द्वारा नाम निर्दिष्ट अनुसूचित जाति का प्रथम वर्ग का एक अधिकारी .. .. सदस्य

(4) जिला हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारी .. .. सदस्य

(5) क्षेत्रीय जिला सेवायोजन अधिकारी .. सदस्य, सचिव

भर्ती का स्रोत

7—किसी अधीनस्थ कार्यालय में लिपिक वर्ग की निम्नतम श्रेणी में भर्ती, नियम 12 में यथा उपबंधित तथा शैक्षिक योग्यता पर नियम 6 में निर्दिष्ट चयन समिति के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा की जायगी :—

प्रतिबन्ध यह है कि किसी विशिष्ट अधीनस्थ कार्यालय में 10 प्रतिशत रिक्तियां नियुक्त प्राधिकारी द्वारा सरकार के समय समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार उस कार्यालय के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों में से जो हाईस्कूल की परीक्षा में उत्तीर्ण हो चुके हों, पदोन्नति करके भरी जा सकती हैं।

टिप्पणी :—इस नियमावली के प्रारम्भ के समय प्रवृत्त आदेश सरकारी आदेश संख्या 37-1/69—नियुक्ति (ख), दिनांक 1 जनवरी, 1970 में दिए गए हैं (परिशिष्ट ए)।

भर्ती प्रतिवर्ष की जायगी।

8—इस नियमावली के अधीन भर्ती के लिये चयन, रिक्तियों के होने पर भर्ती वर्ष में एक बार जिले के समस्त कार्यालयों के लिये किया जायगा।

प्रतिबन्ध यह है कि किसी विशेष जिले में या किसी विशेष कार्यालय के लिये उसी भर्ती के वर्ष में तत्संबंधी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुये द्वितीय या पश्चात भर्ती की जा सकती है।

जिला चयनसमिति को रिक्तियों का सूचित किया जाना

9—(1) जिले में कार्यालयाध्यक्ष अपने नियंत्रण के अधीन कार्यालय का कार्यालयों में ऐसी रिक्तियों की जो विद्यमान हों, तथा जिनके भर्ती के वर्ष में रिक्त होने की संभावना हो, सूचना जिला चयन समिति के सचिव को लिखित रूप में देगा। यह विनिर्दिष्ट किया जायगा कि अनुसूचित जातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों जिनके लिये सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार आरक्षण करना अपेक्षित है के लिये कितनी रिक्तियां आरक्षित की जानी हैं।

(2) रिक्तियों की सूचना प्रतिवर्ष जुलाई के महीने में उप नियम (1) के अधीन दी जायगी:

प्रतिबन्ध यह है कि जहां जिला चयन समिति वर्ष की किसी अन्य महीने में रिक्तियां सूचित किये जाने की अपेक्षा करें वहां सूचना तदनुसार भेजी जायगी।

संभागीय स्तर पर रिक्तियों में भर्ती किया जाना

10—ऐसी भर्ती जिनका संभागीय/परिक्षेत्रीय/डिवीजन स्तर पर किया जाना अपेक्षित हो, उस जिले की चयन समिति के माध्यम से की जायगी, जिसमें संभागीय/परिक्षेत्रीय/डिवीजन कार्यालय स्थित हों। रिक्तियों की सूचना संभागीय/परिक्षेत्रीय/डिवीजनल कार्यालय के अध्यक्ष द्वारा की जायगी।

आयु

11—सीधी भर्ती के लिये यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने भर्ती के वर्ष की प्रथम जुलाई को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो किन्तु 27 वर्ष की आयु प्राप्त न की हो :

प्रतिबन्ध यह है कि अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जन जातियों के अभ्यर्थियों और स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रितों की दशा में उच्च आयु सीमा अपेक्षाकृत पांच वर्ष अधिक होगी।

शैक्षिक अर्हतायें

12—सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी को माध्यमिक शिक्षा परिषद् उत्तर प्रदेश की इण्टरमीडिएट परीक्षा या राज्यपाल द्वारा उसके समकक्ष घोषित किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिये :—

प्रतिबन्ध यह है कि टंकन के पद के लिये अभ्यर्थी को हिन्दी अंकन में प्रति मिनट गति 25 शब्द की होनी चाहिये

भूतपूर्व सैनिकों तथा कुछ अन्य वर्गों के लिये छूट

13—भूतपूर्व सैनिकांक, विकलांग सैनिक युद्ध में मारे गये सैनिकों के आश्रितों, सरकारी सेवाओं में रहते हुये मरने वाले उत्तर प्रदेश सरकार के सेवकों के आश्रितों तथा खिलाड़ियों के पक्ष में अधिकतम आयु सीमा शैक्षिक अर्हताओं और भर्ती की किन्हीं प्रक्रियागत अपेक्षाओं से छूट (यदि कोई दी जाती है) सरकार द्वारा इस संबंध में पारित उन सामान्य नियमों/आदेशों के अनुसार होगी जो भर्ती के समय लागू हो :

प्रतिबन्ध यह है कि टंकन के पद के लिये अभ्यर्थी को हिन्दी टंकण में प्रति मिनट 25 शब्द की न्यूनतम गति भी होनी चाहिये।

चयन का आधार

14—चयन समिति द्वारा अभ्यर्थियों का चयन नियमित :—अभ्यर्थियों की शैक्षिक उपलब्धियों के आधार पर किया जायगा। तदनुसार सेवायोजन अधिकारी अभ्यर्थियों के नाम भेजने में अभ्यर्थियों की शैक्षिक उपलब्धियों विशेष रूप से नियम 12 में निर्दिष्ट न्यूनतम अर्ह परीक्षा में उनकी उपलब्धियों का ध्यान रखेगा।

रिक्तियों का सेवायोजन कार्यालय को अधिसूचित करना

15—जब जिले के विभिन्न विभागों से रिक्तियों की सूचना प्राप्त हो जाय तब जिला चयन समिति के सचिव द्वारा रिक्तियां जिला सेवायोजन कार्यालय को औपचारिक रूप से अधिसूचित की जायगी। यदि सेवायोजन कार्यालय से पात्र अभ्यर्थियों के नाम अपेक्षित संख्या में प्राप्त न हों तो चयन समिति का अध्यक्ष एक या अधिक समीपवर्ती जिलों के सेवायोजन कार्यालय से नाम मंगा सकता है। यदि प्राप्त किए गए नाम फिर भी अपेक्षित संख्या में न हो तो अध्यक्ष एक या अधिक ऐसे समाचार-पत्रों में जिनका उस क्षेत्र में व्यापक परिचलन हो, नोटिस प्रकाशित करके शीघ्र आवेदन पत्र भी आमंत्रित कर सकता है :

प्रतिबन्ध यह है कि जहां भर्ती संभागीय/परिक्षेत्रीय/डिवीजनल स्तर पर की जानी अपेक्षित हो, जैसा कि नियम 10 में उपबंधित है, वह ऐसे संभाग/परिक्षेत्र/डिवीजन के जिनसे रिक्तियां संबंधित हो, जिले/जिलों के सेवायोजन कार्यालयों से नाम प्राप्त किये जा सकते हैं।

चयन की प्रक्रिया

16—(1) जब चयन समिति के सचिव द्वारा अभ्यर्थियों के नाम प्राप्त हो जाय वह निम्नलिखित रीति से अभ्यर्थियों की योग्यता सूची तैयार करेगा :

(क) प्रत्येक अभ्यर्थी के नाम के सामने पद के लिये न्यूनतम अर्ह परीक्षा में अंकों का प्रतिशत दर्ज किया जायगा।

(ख) उत्तीर्ण की गई प्रत्येक उच्च परीक्षा के लिये ऐसी प्रत्येक अन्तिम परीक्षा में प्राप्त किये गये अंकों का 10 प्रतिशत अतिरिक्त दर्ज किया जायगा।

स्पष्टीकरण :—तीन वर्ष के उपाधि पाठ्यक्रम के प्रथम या द्वितीय वर्ष की परीक्षा में उत्तीर्ण के लिये अथवा बेचलर तथा मास्टर की उपाधि पाठ्यक्रम के भाग—1 के लिये कोई अतिरिक्त अंक नहीं दिये जायेंगे।

(2) इस प्रकार तैयार की गई योग्यता सूची चयन समिति के समक्ष रखी जायगी।

(3) तत्पश्चात साक्षात्कार चयन समिति द्वारा किया जायगा और साक्षात्कार में चयन समिति द्वारा अंक निम्नलिखित रीति से दिये जायेंगे :

(क) सामान्य ज्ञान	.. ..	.. 20 अंक तक
(ख) खेलकूद में प्रवीणता	..	.. 5 अंक तक
		25 अंक

प्रतिबन्ध यह है कि खेलकूद में प्रवीणता अभिधारित करने में अंकों का आवंटन निम्न प्रकार से किया जायगा :

(1) यदि अभ्यर्थी अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी है	.. 5 अंक
(2) यदि अभ्यर्थी राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी है	.. 4 अंक
(3) यदि अभ्यर्थी राज्य स्तर का खिलाड़ी है	.. 3 अंक
(4) यदि अभ्यर्थी विश्वविद्यालय महाविद्यालय/विद्यालय स्तर का खिलाड़ी है	2 अंक

(4) साक्षात्कार के लिये प्रदिष्ट अंक शैक्षिक उपलब्धियों के आधार पर प्राप्त अंकों में जोड़ दिये जायेंगे और इस प्रकार प्राप्त कुल अंक, उपनियम (5) के उपबन्धों के अधीन रहते हुये, प्रत्येक अभ्यर्थी की पद-स्थिति का अवधारण करेंगे और तदनुसार योग्यता सूची तैयार की जायगी। यदि एक से अधिक अभ्यर्थी को कुल मिलाकर बराबर अंक प्राप्त हों तो शैक्षिक उपलब्धता के आधार पर अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ऊपर रखा जायगा।

(5) ऐसे अभ्यर्थियों की दशा में जिनका चयन टंकक के पद के लिये और किसी ऐसे अन्य पद के लिये भी किया जाना हो जिसके लिये सरकार ने टंकण को भी एक आवश्यक अर्हता विहित की हो, केवल उन्हीं अभ्यर्थियों के सम्बन्ध में टंकण जानते हों, विचार किया जायगा और योग्यता का अंतिम निर्धारण हिन्दी टंकण में प्राप्त अंकों को जोड़ने के पश्चात ही किया जायगा। अभ्यर्थियों के लिये हिन्दी टंकण की प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होना अपेक्षित होगा। हिन्दी टंकण के लिये अंक अधिकतम 50 अंकों में से दिये जायेंगे। हिन्दी टंकण में से प्राप्त अंको को उप नियम (4) के अधीन पहले से प्राप्त अंकों में जोड़ दिया जायगा और ऐसी दशा में अंतिम योग्यता सूची कुल अंकों के आधार पर तैयार की जायगी।

(6) उन पदों के लिये जिनके लिये सरकार ने कामर्स या कोई अन्य विशेष/तकनीकी अर्हता आवश्यक अर्हता के रूप में विहित की हो, अभ्यर्थियों की दशा में केवल उन्हीं अभ्यर्थियों के संबंध में विचार किया जायगा जिनके पास, यथास्थिति इण्टर कामर्स या बेचलर आफ़ कामर्स की अर्हता या कोई अन्य अपेक्षित विशेष/तकनीकी अर्हता हो।

(7) ऐसी श्रेणियों के, जिनके लिये रिक्तियों को सरकार के सामान्य आदेश के अनुसार आरक्षित रखा जाना अपेक्षित हो, अभ्यर्थियों के नाम परीक्षा में उनकी परस्पर योग्यता के अनुसार एक पृथक सूची में क्रमबद्ध किये जायेंगे।

(8) चयन किए जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या रिक्तियों की संख्या से जिनके लिये चयन किया गया है अधिक (किन्तु 25 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी)।

(9) चयन सूची की तीन प्रतियां तैयार की जायगी। एक प्रति चयन समिति के सचिव के कार्यालय में रहेगी और एक एक प्रति भर्ती निदेशक, विधान भवन लखनऊ तथा चयन समिति के अध्यक्ष को भेजी जायगी।

फीस

17—चयन के लिये अभ्यर्थियों द्वारा चयन समिति को राज्यपाल द्वारा समय-समय पर विहित फीस देना अपेक्षित होगा। फीस की वापसी के लिये कोई दावा ग्रहण नहीं किया जायगा।

टिप्पणी :—इस नियमावली के प्रारम्भ होने के समय विहित फीस अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिये 50 पैसे होगी तथा अन्य सभी अभ्यर्थियों के लिये 2.00 रुपया होगी।

चुने गये अभ्यर्थियों का आवंटन

18—चुने गए अभ्यर्थियों (दोनों ही सामान्य तथा आरक्षित अभ्यर्थी) का आवंटन इस प्रकार किया जायगा कि प्रत्येक कार्यालय के लिये अपेक्षित संख्या में सामान्य तथा आरक्षित मिल जायं। चुने गये प्रत्येक अभ्यर्थी से विभिन्न कार्यालयों के सम्बन्ध में अधिमान-क्रम उपदर्शित करते हुये उनका विकल्प प्राप्त किया जा सकता है और विभिन्न कार्यालयों में आवंटन अधिमान के अनुसार सामान्य अभ्यर्थियों की योग्यता सूची में अभ्यर्थी/अभ्यर्थियों में से सर्वोत्तम अभ्यर्थी को और उसके बाद आरक्षित अभ्यर्थियों

की योग्यता सूची में सर्वोत्तम अभ्यर्थी को छांटकर तथा इसी प्रकार किया जा सकता है। यदि इस प्रक्रिया में कोई अभ्यर्थी अपने क्रम के अनुसार आने वाले कार्यालय/कार्यालयों में नियुक्ति स्वीकार करने का इच्छुक न हों तो ऐसे अभ्यर्थी का नाम सूची से निकाल दिया जायगा। अभ्यर्थियों के आवंटन की प्रक्रिया के कार्यान्वियन में कोई कठिनाई होने की दशा में, मामला सरकार को निर्दिष्ट किया जायगा और सरकार आवश्यक सामान्य या विशेष आदेश दे सकती है जो अन्तिम होगा।

नियुक्त प्राधिकारी द्वारा नियुक्ति

19—दोनों चयन सूचियां प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा चयन में प्राप्त कुल अंकों का उल्लेख करते हुए अग्रसारित की जायगी। चुने गये सामान्य तथा आरक्षित अभ्यर्थियों के नाम जब किसी कार्यालय विशेष में प्राप्त हो जायं तब सामान्य तथा आरक्षित अभ्यर्थियों के नाम अभ्यर्थियों की योग्यतानुसार एक सामान्य सूची में क्रमबद्ध किये जायं और नियुक्तियों का प्रस्ताव उसी क्रम में, किया जायगा जिसमें उनके नाम उस सूची में क्रमबद्ध किये गये हैं।

निरसन और विधि मान्यकरण

20—(1) समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना संख्या 0—1119/2/बी-50 दिनांक 11 जुलाई, 1950 के अधीन प्रकाशित अधीनस्थ कार्यालयों के क्लर्की अमले की भर्ती के नियम दिनांक 5 जून, 1974 से निरस्त हो जायंगे और निरस्त हुये समझे जायेंगे।

(2) समय-समय पर यथा संशोधित नियुक्ति अनुभाग (4) सरकारी आदेश संख्या 27—2—1974 नियुक्ति (4) दिनांक 5 जून, 1974 के उपबन्ध 5 जून, 1974 से इस नियमावली के प्रारम्भ होने तक की अवधि के दौरान अधीनस्थ कार्यालयों में लिपिक वर्ग की भर्ती से संबंधित नियम समझे जायंगे और समय-समय पर यथा संशोधित उक्त सरकारी आदेश में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार उक्त अवधि में किसी अधीनस्थ कार्यालय में किसी लिपिक पद पर तदनुसार किया गया कोई चयन या की गई नियुक्ति विधि मान्यता किया गया चयन या की गयी नियुक्ति समझी जायगी।

तदर्थ नियुक्ति

21—यदि चुने गये अभ्यर्थियों की सूची निःशेषित हो जाय या चुने गये अभ्यर्थियों की सूची से कोई भी अभ्यर्थी नियुक्ति के लिये उपलब्ध न हो तो सम्बद्ध नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा 6 मास से अनधिक अवधि के लिये पात्र अभ्यर्थियों की तदर्थ नियुक्ति की जा सकती है।

आज्ञा से,
(ह०) भैरव दत्त सनवाल,
मुख्य सचिव।

परिशिष्ट—ए

उत्तर प्रदेश शासन
नियुक्ति (ख) विभाग

संख्या 37/1—69—नियुक्ति (ख)
लखनऊ, 1 जनवरी, 1970

कार्यालय ज्ञाप

विषयः—वर्ग 4 के कर्मचारियों के लिए वर्ग 3 के निम्नतम श्रेणी के लिपिक वर्गीय पदों में आरक्षण।

नियुक्ति विभाग

शासन ने यह निर्णय लिया है कि किसी कार्यालय में प्रत्येक वर्ष में 3 के निम्नतम श्रेणी के लिपिक वर्गीय पदों में होने वाली स्थायी एवम् एक वर्ष से अधिक अवधि तक चलते रहने वाली अस्थायी रिक्तियों में वर्ग 4 के हाई स्कूल अथवा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त परीक्षा पास स्थायी कर्मचारियों के लिये, जिनकी आयु 45 वर्ष से अधिक न हो, पदोन्नति द्वारा दस प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया जायगा। ऐसी पदोन्नति के निमित्त वर्ग 3 के पदों पर भर्ती जिस कार्यालय में होनी हो उसी कार्यालय में कार्य करने वाले वर्ग 4 के कर्मचारियों के मामलों में विचार किया जायगा। किन्तु यदि किसी जिले में कोई नये कार्यालय को खोला जाय तो उस कार्यालय में वर्ग 3 के निम्नतम श्रेणी के 10 प्रतिशत पदों पर भर्ती के लिये उल्लिखित शर्तों के अधीन वर्ग 4 के सभी स्थानीय कर्मचारियों के मामलों में विचार किया जाय रिक्तियों के कम होने की दशा में पदोन्नति का क्रम यह रहेगा कि प्रत्येक 9 नियुक्ति के बाद एक नियुक्ति पदोन्नति द्वारा की जायगी।

2—आरक्षित रिक्तियों के लिये चुनाव श्रेष्ठता के आधार पर एक साधारण परीक्षा लेकर तथा साक्षात्कार के द्वारा किया जायगा। परीक्षा में केवल एक प्रश्न पत्र होगा जिसमें दो सवाल होंगे एक किसी सरल विषय पर हिन्दी निबन्ध और दूसरा सामान्य ज्ञान। चुनाव के लिये कुल 50 अंक होंगे जिसका विवरण निम्नलिखित है :

(क)	लिखित परीक्षा	.. 30 अंक (प्रत्येक प्रश्न के 15 अंक)
(ख)	साक्षात्कार	.. 10 अंक
(ग)	चरित्र पंजी	.. 10 अंक
		50 अंक

जहां तक केवल टंकक (टाइपिस्टों) के संवर्ग में ही भर्ती की जानी हो, वहां पर टाइप की भी परीक्षा ली जायगी।

3—यह आदेश मंत्रि परिषद् की स्वीकृति से जारी किये जा रहे हैं। अतः वर्तमान नियमों में यदि कोई हो, मंत्रि परिषद् की पुनः स्वीकृति लिये बिना तदनुसार संशोधन कर लिया जाय।

अशोक कुमार मस्तफी,

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 7906-KA/XXXIII-I–91-77, dated March 25, 1979 :

No. 7906-KA/XXXIII-I–91-77

Dated Lucknow, March 25, 1979

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution and in supersession of all existing rules and orders on the subject, the Governor is pleased to make the following rules regulating to recruitment and the conditions of service of persons appointed to the Uttar Pradesh Panchayat Subordinate Ministerial Service :

THE UTTAR PRADESH PANCHAYAT SUBORDINATE MINISTERIAL SERVICE RULES, 1979

PART I—*General*

Short Title and Commencement.

1. (1) These rules may be called the Uttar Pradesh Panchayat Subordinate Ministerial Service Rules, 1979.

(2) They shall come into force at once.

Status of Service.

2. The Uttar Pradesh Panchayat Subordinate Ministerial Service is a non-gazetted service comprising Group 'C' posts.

Definitions

3. In these rules unless there is anything repugnant in the subject or context—

(*a*) 'appointing authority' means the District Panchayat Raj Officer ;

(*b*) 'citizen of India' means a person who is or is deemed to be a citizen of India under Part II of the Constitution ;

(*c*) 'Constitution' means the Constitution of India ;

(*d*) 'Government' means the State Government of Uttar Pradesh ;

(*e*) 'Governor' means the Governor of Uttar Pradesh ;

(*f*) 'member of service' means a person appointed in a substantive capacity under these rules of the rules or orders in force prior to the commencement of these rules to a post in the cadre of the service ;

(*g*) 'service' means the Uttar Pradesh Panchayat Subordinate Ministerial Service ; and

(*h*) 'year or recruitment' means the period of twelve months commencing from the first day of July of a calendar year.

PART II—*Cadre*

Cadre of Service.

4. (1) The strength of the service shall be such as may be determined by the Governor from time to time.

(2) The strength of the service and of each category of posts therein shall, until orders varying the same are passed under sub-rule (1), be given in Appendix 'A' :

Provided that—

(1) the appointing authority may leave unfilled and the Governor may hold in abeyance any vacant post without thereby entitling any person to compensation ; or

(2) the Governor may create such additional permanent or temporary posts from time to time as he may consider proper.

PART III—*Recruitment*

Source of Recruitment.

5. Recruitment to the various categories of posts in the service shall be made from the following sources :—

(i) Senior Clerks (ii) Assistant Accountant	By promotion on the basis of seniority subject to the rejection of unfit from amongst the permanent Junior clerks, Accounts clerks, and Record clerks.

NOTE—For the purpose of promotion a combined seniority list shall be prepared by arranging the names of the persons on the basis of the date of substantive appointment.

(iii) Junior Clerks (iv) Accounts Clerks (v) Record Clerks	By direct recruitment and promotion in accordance with the provision of the Subordinate Officer Ministerial Staff (Direct Recruitment) Rules, 1975, as amended from time to time.

Reservation.

6. Reservations for the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other categories shall be made in accordance with the orders of the Government in force at the time of the recruitment.

PART IV—*Qualifications*

Nationality.

7. A candidate for direct recruitment to a post in the service must be :—

(*a*) a citizen of India ; or

(*b*) a Tibetan refugee who came over to India before the 1st January, 1962 with the intention of permanently settling in India ; or

(*c*) a person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Burma, Ceylon or any of the East African countries of Kenya, Uganda and the United Republic of Tanzania (formerly Tanganyika and Zanzibar) with the intention of permanently settling in India :

Provided that a candidate belonging to category (*b*) or (*c*) above must be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the State Government :

Provided further that a candidate belonging to category (*b*) will also be required to obtain a certificate of eligibility granted by the Deputy Inspector General of Police, Intelligence Branch, Uttar Pradesh :

Provided also that if a candidate belongs to category (*c*) above, no certificate of eligibility will be issued for a period of more than one year and the retention of such a candidate in service beyond a period of one year, shall be subject to his acquiring Indian citizenship.

NOTE—A candidate in whose case a certificate of eligibility is necessary but the same has neither been issued nor refused, may be admitted to an examination or interview and he may also be provisionally appointed subject to the necessary certificate being obtained by him or issued in his favour.

Academic qualification.

8. A candidate for direct recruitment or promotion to a post of Accounts Clerks, Record Clerk or Junior Clerk must have the academic qualifications prescribed in the Subordinate Offices Ministerial Staff (Direct Recruitment) Rules, 1975.

Preferential qualification.

9. A candidate who has—

(i) served in the Territorial Army for a minimum period of two years ; or

(ii) obtained a 'B' certificate of National Cadet Corps ;

shall other things being equal, be given preference in the matter of direct recruitment.

Age

10. A candidate for direct recruitment to the post of Accounts Clerk, Record Clerk or Junior Clerk must be within the age limits prescribed in the Subordinate Offices Ministerial Staff (Direct Recruitment) Rules, 1975. The upper age limit in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and such other categories as may be notified by the Government from time to time shall be greater by such number of years as may be specified.

Character

11. The character of a candidate for direct recruitment to a post in the service must be such as to render him suitable in all respects for employment in Government service. The appointing authority shall satisfy itself on this point.

NOTE—Persons dismissed by the Union Government or a State Government or by a Local authority or a Corporation or Body owned or controlled by the Union Government or a State Government shall be ineligible for appointment to any post in the service. Persons convicted of an offence involving moral turpitude shall also be ineligible.

Marital Status

12. A male candidate who has more than one wife living or a female candidate who has married a man already having a wife living shall not be eligible for appointment to a post in the service :

Provided that the Governor may, if satisfied that there exists special grounds for doing so, exempt any person from the operation of this rule.

Physical Fitness

13. No candidate shall be appointed to a post in the service unless he be in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the efficient performance of his duties. Before a candidate is finally approved for appointment he shall be required to produce a medical certificate of fitness in accordance with the rules framed under Fundamental Rule 10 and contained in Chapter III of the Financial Hand Book, Volume II, Parts II to IV :

Provided that a medical certificate of fitness shall not be required from a candidate recruited by promotion.

PART V—*Procedure for Recruitment*

Determination of Vacancies.

14. The appointing authority shall determine the number of vacancies to be filled during the course of the year as also the number of vacancies to be reserved for candidate belonging to the Scheduled Tribes and other categories under rule 6. The vacancies in the posts to be filled by direct recruitment shall be intimated to the Secretary, District Selection Committee.

Procedure for Recruitment to the post of Accounts Clerk, Record Clerk and Junior Clerk.

15. Recruitment shall be made in accordance with the procedure laid down in the Subordinate Offices Ministerial Staff (Direct Recruitment) Rules, 1976, as amended from time to time.

Procedure for Recruitment by promotion to the posts of Assistant Accountants and Senior Clerks.

16. (1) Recruitment by promotion shall be made on the basis of seniority subject to the rejection of the unfit through a Selection Committee comprising :—

1.	Additional District Magistrate (Development) / District Development Officer	.. *Chairman*
2.	District Harijan and Social Welfare Officer	.. *Member*
3.	District Panchayat Raj Officer	.. *Member/ Secretary.*

(2) The appointing authority shall prepare an eligibility list of the candidates, arranged in order of seniority and place it before the Selection Committee along with their character rolls and such other record, pertaining to them, as may be considered proper.

(3) The Selection Committee shall consider the cases of candidates on the basis of the records referred to in sub-rule (2) and, if it considers necessary, it may interview the candidates also.

(4) The Selection Committee shall prepare a list of selected candidates arranged in order of seniority and forward the same to the appointing authority.

PART VI—*Appointment, Probation, Seniority and Confirmation*

Appointment

17. (1) On the occurrence of substantive vacancies, the appointing authority shall make appointment by taking candidates in the order in which

(2) The appointing authority may take appointments in temporary and officiating vacancies also from the lists, referred to in the sub-rule (1). If no candidates borne on these lists is available, he may make appointment in such vacancies from persons eligible for appointment under these rules :

Provided that such appointments shall not last for a period of more than six months or till the next selection, whichever is earlier.

Probation.

18. (1) A person on appointment to a post in the service in or against a substantive vacancy shall be placed on probation for a period of two years.

(2) The appointing authority may, for reasons to be recorded, extend the period of probation in an individual case specifying the date up to which the extension is granted :

Provided that save for exceptional reasons the period of probation shall not be extended for more than one year and in no circumstances, beyond the limit of two years.

(3) If it appears to the appointing authority at any time during or at the end of the period of probation or extended period of probation that a probationer has not made sufficient use of his opportunities or has otherwise failed to give satisfaction, he may be reverted to his substantive post if any, and if he does not hold a lien on any post his services may be dispensed with.

(4) A probationer who is reverted or whose services are dispensed with under sub-rule (3) shall not be entitled to any compensation.

Confirmation.

19. A probationer shall be confirmed in his appointment at the end of the period of probation or the extended period of the probation if—

(*a*) his work and conduct are reported to be satisfactory ;

(*b*) his integrity is certified ; and

(*c*) the appointing authority is satisfied that he is otherwise fit for confirmation.

Seniority

20. Seniority of a candidate shall be determined from the date of substantive appointment and if two or more persons are appointed together from the order in which their names are arranged in the appointment order :

Provided that—

(i) the *inter se* seniority of a person directly appointed to the service shall be the same as determined at the time of selection ; and

(ii) the *inter se* seniority of persons appointed to the service by promotion shall be the same as it was in the substantive post held by them at the time of promotion.

NOTE—A candidate recruited directly may lose his seniority if he fails to join without valid reasons when a vacancy is offered to him. The decision of the appointing authority as to the validity of the reasons will be final.

PART VII—*Pay Etc.*

Scales of Pay.

21. (1) The scales of pay admissible to persons appointed to the posts in the service, whether in a substantive or officiating capacity or as a temporary measure, shall be such as may be determined by the Government from time to time.

(2) The scales of pay of the posts in service at the time of the commencement of these rules, will be Rs.230–6–290–EB–9–335–EB–10–385 for Senior Clerks and Assistant Accountants Rs.200–5–250–EB–6–280–EB–8–320 for the Junior Clerks, Accounts Clerks and Record Clerks.

Pay during Probation.

22. Notwithstanding any provision in the Fundamental Rules to the contrary, a person on probation, if he is not already in permanent Government service, shall be allowed his first increment in the time scale when he has completed one year of satisfactory service, and second increment after two years service when he has completed the probationery period and is also confirmed :

Provided that if the period of probation is extended on account of failure to give satisfaction such extension shall not count for increment unless the appointing authority direct otherwise.

(2) The pay during probation of a person who was already holding a post under the Government, shall be regulated by the relevant Fundamental Rules :

Provided that—

If the period of probation is extended on account of failure to give satisfaction, such extension shall not count for increment unless the appointing authority directs otherwise.

(3) The pay during probation of a person already in permanent Government service shall be regulated by the relevant rules, applicable to Government servants generally serving in connection with the affairs of the State.

Criteria for crossing efficiency Bars.

23. (1) No Assistant Accountant shall be allowed to cross—

(i) the first efficiency bar unless he has proficiency in maintaining accounts, has knowledge of account rules, his work and conduct are satisfactory and unless his integrity is certified ;

(ii) the second efficiency bar unless he is found capable of holding independent charge of accounts work and is able to supervise the work of Junior clerks, working under him, his work and conduct are otherwise found to be satisfactory and unless his integrity is certified.

(2) No Senior Clerk shall be allowed to cross—

(i) the first efficiency bar unless he has acquired full knowledge of office rules and procedure, his work and conduct are found to be satisfactory and unless his integrity is certified ;

(ii) the second efficiency bar unless he is able to handle independent charge of the office and should be able to supervise the work of his subordinates, his work and conduct are found to be satisfactory and unless his integrity is certified.

(3) No Accounts Clerk shall be allowed to cross—

(i) the first efficiency bar unless he has acquired adequate knowledge of rules and regulations pertaining to accounts, his work and conduct are found to be satisfactory and unless his integrity is certified ;

(ii) the second efficiency bar unless he has acquired proficiency in account rules and in maintenance of accounts, he is fit for promotion to the post of Assistant Accountant his work and conduct are found to be satisfactory and unless his integrity is certified.

(4) No Record Clerk shall be allowed to cross—

(i) the first efficiency bar unless he has acquired knowledge pertaining to consignment and weeding of records and also the general office procedure including noting and drafting and correspondence, his work and conduct are found to be satisfactory and unless his integrity is certified ;

(ii) the second efficiency bar unless he has acquired proficiency in the office procedure and should be fit for promotion to the post of Assistant Accountant/Senior Clerk, his work and conduct are found to be satisfactory and unless his integrity is certified.

(5) No Junior Clerk shall be allowed to cross—

(i) the first efficiency bar unless he has acquired sufficient knowledge of office procedure including noting and drafting and general correspondence, his work and conduct are found to be satisfactory and unless his integrity is certified ;

(ii) the second efficiency bar unless he has attained proficiency in office rules and regulations and should be fit for promotion to the post of Assistant Accountant/Senior Clerk, his work and conduct are found to be satisfactory and unless his integrity is certified.

PART VIII—*Other Provisions*

24. No recommendations, either written or oral, other than those required under the rules applicable to the posts in service will be taken into consideration. Any attempt on the part of a candidate to enlist support directly or indirectly for his candidature will disqualify him for appointment. **Canvassing.**

25. In regard to the matter not specifically covered by these rules or by special orders, persons appointed to the service shall be governed by the rules, regulations and orders applicable generally to Government servants serving in connection with the affairs of the State. **Regulation of other matters.**

26. Where the State Government is satisfied that the operation of any rule regulating the conditions of service of a person appointed to the service causes undue hardship in any particular case, it may, notwithstanding anything contained in the rules applicable to the case, by order, dispense with or relax the requirements of that rule to such extent and subject to such conditions as it may consider necessary for dealing with the case in a just equitable manner. **Relaxation from the Conditions of Service.**

27. Nothing in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Government from time to time in this regard. **Savings.**

By order,
S. S. AHMAD,
Ayukt Evam Sachiv.

एपेन्डिक्स "बी"

उत्तर प्रदेश शासन

नियुक्ति अनुभाग–4

संख्या 43/90/66–नियुक्ति–4

लखनऊ, 18 जुलाई, 1972

कार्यालय-ज्ञाप

राज्याधीन सेवाओं को सीधी भर्ती में विभिन्न वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए शासन द्वारा समय-समय पर आरक्षण प्रदान किया गया है। अनुसूचित जातियों के लिए समस्त सेवाओं में 18 प्रतिशत का आरक्षण किया गया है जिसे वर्ग 3 की लिपिक वर्गीय तथा वर्ग 4 की सेवाओं में बढ़ाकर तब तक के लिए क्रमशः 25 तथा 45 प्रतिशत कर दिया गया है जब तक कि इन सेवाओं में उनका 18 प्रतिशत का कोटा पूरा न हो जाय। अनुसूचित जन-जातियों के लिए समस्त सेवाओं में 2 प्रतिशत सेना सेवा से विमुक्त इमर्जेन्सी कमीशन्ड/शार्ट सर्विस कमीशन्ड अफसरों के लिए वर्ग 2 की ऐसी अप्राविधिक सेवाओं में जिनमें प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर भर्ती होती है 20 प्रतिशत सेना सेवा में भर्ती हुए ग्रेजुएट डाक्टरों तथा इंजीनियरों के लिए मेडिकल तथा इंजीनियरिंग सेवाओं में 50 प्रतिशत का आरक्षण मौजूद है। इसके अतिरिक्त राज्याधीन सेवाओं में सेना सेवा से विमुक्त कर्मचारियों को वर्ग 3 और वर्ग 4 की सेवाओं में स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों के आश्रितों तथा आम व्यक्तियों (फिजिकल हैन्डीकैप्ड) के लिए आरक्षण और प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। कुछ समय पहले उच्चतम न्यायालय द्वारा एक मामले में फैसला देते हुए यह मत भी व्यक्त किया गया है कि किसी भी सेवा में 50 प्रतिशत से अधिक आरक्षण संविधान के उपबन्धों के विपरीत होगा। अतः आरक्षण सम्बन्धी समस्त प्रश्न पर शासन द्वारा पुनर्विचार किया गया है तथा निम्नलिखित निर्णय किये गये हैं।

(1) किसी भी सेवा में सीधी भर्ती में अग्रनीत (carried forward) आरक्षित रिक्तियों को, यदि कोई हो, सम्मिलित करते हुए कुल 50 प्रतिशत से अधिक आरक्षण न रहेगा।

(2) समस्त सेवाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए क्रमशः 18 तथा 2 प्रतिशत का आरक्षण होगा किन्तु वर्ग 3 की लिपिक वर्गीय तथा वर्ग 4 की सेवाओं में अनुसूचित जातियों के लिए क्रमशः 25 तथा 36 प्रतिशत आरक्षण तब तक रहेगा जब तक कि उनका इन सेवाओं में 18 प्रतिशत कोटा पूरा न हो जाये।

(3) वर्ग 2 की ऐसी अप्राविधिक सेवाओं में जिनमें प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर भर्ती होती है (1) सेना के विकलांग आफ़िसरों तथा इमर्जेन्सी कमीशन्ड/शार्ट सर्विस कमीशन्ड आफ़िसरों के लिये तथा (2) स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों के आश्रितों के लिये दस-दस प्रतिशत का आरक्षण होगा।

(4) राज्याधीन मेडिकल तथा इन्जीनियरिंग सेवाओं में (1) सेना से विमुक्त ग्रेजुएट डाक्टरों तथा ग्रेजुएट इंजीनियरों के लिये और (2) स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों के आश्रितों प्रत्येक के लिये 12 1/2 प्रतिशत का आरक्षण होगा।

(5) वर्ग 3 की समस्त सेवाओं में (1) सेना के विकलांग कर्मचारियों तथा (2) स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों के आश्रितों प्रत्येक के लिये दस प्रतिशत तथा वर्ग 4 की सेवाओं में प्रत्येक के लिये 5 प्रतिशत का आरक्षण रहेगा।

(6) राज्याधीन समस्त सेवाओं में अक्षम व्यक्तियों (फ़िजिकल हैण्डीकैप्ड) के लिये 2 प्रतिशत का आरक्षण रहेगा।

2—आप से निवेदन है कि सेवाओं में आरक्षण संबंधी नीति का तदनुसार अनुसरण किया जाये।

अयोध्या प्रसाद दीक्षित,
सचिव।

एपेंडिक्स "ए"

उत्तर प्रदेश शासन

नियुक्ति अनुभाग–4

संख्या 43/9/66 नियुक्ति–4

लखनऊ, 17 नवम्बर, 1972

कार्यालय-ज्ञाप

राज्याधीन सेवाओं की सीधी भर्ती में विभिन्न वर्ग के अभ्यार्थियों के लिए आरक्षण के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या 43/9/66 नियुक्ति–4 दिनांक 18 जुलाई, 1972 द्वारा जारी किये गये आदेशों में आइटम (5) के अंतर्गत वर्ग 3 व 4 की समस्त सेवाओं में आरक्षण के वर्तमान प्राविधान के स्थान पर निम्नांकित पढ़ा जाय :

(5) वर्ग 3 की समस्त सेवाओं में (1) सेना के विकलांग एवं सेना से वियोजित कर्मचारी/कर्मचारियों तथा (2) स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों के आश्रितों प्रत्येक के लिए दस प्रतिशत तथा वर्ग 4 की सेवाओं में प्रत्येक के लिए 5 प्रतिशत का आरक्षण रहेगा।

ह0 गौरी शंकर सिंघल,
उप सचिव।

एपेन्डिक्स "बी"

संख्या 65/2/69–रा0 एकी0

प्रेषक,

श्री सतीश चन्द्र,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

लखनऊ, दिनांक 8 मार्च, 1977

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष तथा अन्य प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

विषय—पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों के लिए आरक्षण।

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सरकार के अधीन सीधी भर्ती द्वारा अथवा विभागीय अभ्यर्थियों तक सीमित प्रतियोगितात्मक परीक्षा द्वारा पदोन्नति से भरे जाने वाले समस्त पदों/सेवाओं में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के लिए क्रमशः 18 प्रतिशत तथा 2 प्रतिशत का आरक्षण प्रदान किया गया है, किन्तु चयन द्वारा पदोन्नति से भरे जाने वाले पदों/सेवाओं से उक्त जातियों के लिए कोई आरक्षण उपलब्ध नहीं है। राज्यपाल ने अब आदेश दिये हैं कि:—

(1) राज्याधीन पदों/सेवाओं में पूर्ण पात्रता के क्षेत्र में श्रेष्ठता के आधार पर की जाने वाली पदोन्नति के समस्त मामलों से अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए क्रमशः 18 प्रतिशत और 2 प्रतिशत का आरक्षण किया जायेगा।

(2) अनुपयुक्त को अस्वीकृत करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर की जाने वाली पदोन्नति के मामलों में आरक्षण की व्यवस्था लागू नहीं की जा सकती क्योंकि इस आधार के अन्तर्गत जो व्यक्ति ज्येष्ठ हैं कार्य तथा आचरण के विचार से अनुपयुक्त नहीं है वह चुना हो जायगा।

यदि आरक्षित रिक्तियों के लिए चयन के अवसर पर अनुसूचित जाति और/अथवा अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों में उपयुक्त अभ्यर्थी पर्याप्त संख्या में नहीं मिलते और ऐसी रिक्तियों को कार्य वृद्धि से भरा जाना आवश्यक हो समझा जाता है तो उनके केवल तदर्थ आधार पर अस्थायी नियुक्तियां कर ली जायें तथा नियुक्ति के आदेशों में यह स्पष्ट

भी कर दिया जाये। साथ ही उन रिक्तियों को चयन के अनुवर्ती अवसर पर अग्रेनीत (कैरी फारवर्ड) किया जाना चाहिये पर प्रतिबन्ध यह होगा कि भर्ती के वर्ष में आरम्भिक रिक्तियां तथा अग्रेनीत आरक्षित रिक्तियां केवल दो ही हों, तो उसमें से एक को आरक्षित रिक्ति समझा जा सकता है। किन्तु यदि रिक्ति केवल एक ही हो तो उसे अनारक्षित (अनरिजर्व्ड) रिक्ति समझना चाहिये।

45 प्रतिशत से अधिक अधिशेष (सरप्लस) को चयन के अनुवर्ती अवसर पर अग्रेनीत किया जायेगा किन्तु शर्त यह है कि अग्रेनीत की गयी विशेष रिक्तियां अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के सम्बन्ध में क्रमशः दो वर्षों और पांच वर्षों से अधिक पुरानी होने के कारण काल-वाधित (टाइम बार्ड) न होने पावें।

(3) पदोन्नति के समय अनुसूचित और जाति अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों की उपयुक्तता अन्य सामान्य अभ्यर्थियों के साथ ही आंकी जायगी अर्थात् उपयुक्तता का मापदण्ड सभी अभ्यर्थियों के लिए एक सा होगा जो अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी निर्धारित न्यूनतम मापदण्ड की योग्यता रखते हैं उन्हें आरक्षण की सीमा तक चुन लिया जायेगा।

(4) जब उपरोक्त प्रकार से आरक्षित रिक्तियों में पहले पहल अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की स्थानापन्न या अस्थायी रूप से पदोन्नति की जायेगी तो उनमें स्थायीकरण सामान्य नियम के अन्तर्गत होगा। आरक्षण का सिद्धान्त अस्थायी रूप से पदोन्नति किये गये लोगों का स्थायीकरण करते समय दोबारा लागू नहीं होगा।

(5) राज्य सरकार द्वारा अभी तक अपनायी गयी प्रक्रिया के अनुसार वर्ग 1 और वर्ग 2 की राज्यस्तरीय सेवाओं में नियुक्तियों के सभी मामले सम्बन्धित मन्त्रियों की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया जाते हैं। भविष्य में वर्ग 2 की अन्य सेवाओं के साथ-साथ वर्ग 3 और वर्ग 4 की सेवाओं में, जिनमें नियुक्तियां राज्यपाल से विभिन्न प्राधिकारी द्वारा की जाती है, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के अतिक्रमण (सुपरसेशन) के मामले भी प्रशासनिक अनुभाग द्वारा संबंन्धित मंत्री को सूचनार्थ प्रस्तुत किये जायेंग। अतः ऐसे सभी मामले विभागाध्यक्षों द्वारा सम्बन्धित प्रशासनिक अनुभागों को एक मास के अन्दर भेज देने चाहिये।

(6) मुझे आपसे यह अनुरोध करना है कि आप अपने अधीनस्थ नियुक्ति प्राधिकारियों को शासन के उपर्युक्त निर्णयों को सक्रिय ढंग से पालन करने के आदेश अविलम्ब जारी कर दें।

(7) यह आदेश तात्कालिक प्रभाव से लागू होंगे।

भवदीय,
सतीश चन्द्र,
मुख्य सचिव

एपेन्डिक्स "बी"

संख्या 15/5/1973–रा0 एको0

प्रेषक,

भैरव दत्त सनवाल,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष तथा,
प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

लखनऊ, 20 मार्च, 1974।

राष्ट्रीय एकीकरण अनुभाग

विषयः—अनुपयुक्त को अस्वीकृत करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर की जाने वाली पदोन्नति के मामलों में अनुसूचित जातियों/जनजातियों के लिए आरक्षण।

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सरकार के अधीन सेवाओं/पदों पूर्णपात्रता के क्षेत्र में श्रेष्ठता के आधार पर की जाने वाली पदोन्नति के समस्त मामलों में शासकीय आदेश संख्या 65/2/69–रा0 एको0 दिनांक 8 मार्च, 1973 द्वारा अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए क्रमशः 18 प्रतिशत और 2 प्रतिशत के आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। शासन ने मामले पर पुनः गम्भीरतापूर्वक विचार करने के पश्चात् अब यह निर्णय लिया है कि अनुपयुक्त को अस्वीकृत करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर की जाने वाली पदोन्नतियों में भी उक्त जातियों के लिए क्रमशः 18 प्रतिशत तथा 2 प्रतिशत का आरक्षण रहेगा। यह आरक्षण केवल ऐसी सेवाओं/पदों में होगा

जिसमें सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति की व्यवस्था 50 प्रतिशत से अधिक न हो। अतएव शासकीय आदेश संख्या 65/2/69–रा० एको०, दिनांक 8 मार्च, 1973 के पैरा 1 का मद (2) तदनुसार संशोधित समझा जाये। आरक्षण की इन व्यवस्थाओं के साथ नियमों एवं आदेशों में दिये गय प्राविधानों के अनुसार पदोन्नति की जायेगी।

2—जो अभ्यर्थी ज्येष्ठता पर आधारित उक्त पदोन्नति के लिए सर्वथा पात्र एवं अर्ह होगा तथा अनुपयुक्त न पाया जायगा उसको आरक्षण की सीमा तक चुन लिया जायगा विभाग में होने वाली कुल रिक्तियों की संख्या सामान्य अभ्यर्थी तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी के लिए आरक्षण के अनुसार निर्धारित की जायेगी। तदुपरान्त निर्धारित संख्या तक सामान्य अभ्यर्थी, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के अभ्यर्थियों का चुनाव अलग-अलग बनाई गई उनकी सूचियों के अनुपयुक्त को छोड़ते हुए ज्येष्ठता के आधार पर किया जायगा। चुने हुए अभ्यर्थियों के नाम उनके मूल पद पर पारस्परिक ज्येष्ठता (Interse seniority) के अनुसार पुनः व्यवस्थित कर लिए जायेंगे तीन प्रकार के अभ्यर्थियों की सूची ली जायगी और अभ्यर्थियों के नाम उनके मूलपद पर पारस्परिक ज्येष्ठता (Interse seniority) के अनुसार पुनः व्यवस्थित कर लिए जायेंगे और रिक्तियों के विरुद्ध पदोन्नतियां उसी क्रम में की जायेंगी।

यह आदेश तात्कालिक प्रभाव से लागू समझे जायेंगे। इन आदेशों के अनुसार संबंधित सेवा नियमों में आवश्यक संशोधन की कार्यवाही कृपया शीघ्र की जाय।

भवदीय,
भैरव दत्त सनवाल
मुख्य सचिव।

एपेन्डिक्स "बी"

संख्या 15/5/1973–रा० एको०

प्रेषक,

भैरव दत्त सनवाल
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष, तथा
प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ, दिसम्बर 27, 1974।

राष्ट्रीय एकीकरण विभाग

विषय:—अनुपयुक्त को अस्वीकृत करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर की जाने वाली पदोन्नति के मामलों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों के लिए आरक्षण।

महोदय,

मुझे उपरोक्त विषयक शासनादेश संख्या 15/5/1973–रा० एको० दिनांक 20 मार्च, 1974 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करने का निदेश हुआ है जिसमें यह कहा गया था कि अनुपयुक्त को अस्वीकृत करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर की जाने वाली पदोन्नतियों में अनुसूचित जातियों/अनसूचित जन-जातियों के लिए क्रमशः 18 प्रतिशत तथा 2 प्रतिशत का आरक्षण केवल ऐसी सेवाओं/पदों में होगा जिनमें सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति की व्यवस्था 50 प्रतिशत से अधिक न हो। इस सम्बन्ध में पुनर्विचार के बाद शासन ने यह प्रतिबन्ध कि यह आरक्षण केवल ऐसी सेवाओं/पदों में होगा जिसमें सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति की व्यवस्था 50 प्रतिशत से अधिक न हो, हटा दिया है। उक्त शासनादेशानुसार तदनुसार संशोधित समझा जायगा और अब इन जातियों को सभी सेवाओं/पदों म पदोन्नति के मामले में आरक्षण प्राप्त होगा।

2—यह आदेश तात्कालिक प्रभाव से लागू होंगे। इन आदेशों के अनुसार संबंधित सेवा नियमों में आवश्यक संशोधन की कार्यवाही कृपया शीघ्र की जाय।

भवदीय,
भैरव दत्त सनवाल,
मुख्य सचिव।

एपेन्डिक्स "बी"

उत्तर प्रदेश शासन

नियुक्ति अनुभाग–4

संख्या बी-52/दो-4/75, नियुक्ति–4

लखनऊ, 11 फरवरी, 1975

कार्यालय-ज्ञाप

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि नियुक्ति अनुभाग–4 के शासनादेश संख्या 33/3/1973 नियुक्ति–4, दिनांक नवम्बर 7, 1974 में यह निदेश दिये गये हैं कि वर्ग 3–की सेवाओं में जो लोक सेवा आयोग के कार्य क्षेत्र के बाहर हैं, जब तक अनुसूचित जातियों के लिए प्रतिनिधित्व 9 प्रतिशत नहीं हो जाता है तब तक उनके लिए 45 प्रतिशत का आरक्षण रहेगा। इसी प्रकार अनुसूचित जन जातियों के लिए उक्त सेवाओं में जब तक 2 प्रतिशत का आरक्षण पूरा नहीं हो जाता तब तक उनके लिए 5 प्रतिशत का आरक्षण रहेगा। इन आदेशों के अन्तर्गत अन्य वर्गों के लिए पूर्व में किए गए आरक्षण के प्राविधान स्थगित रहेंगे जब तक कि अनुसूचित जातियों के लिए 9 प्रतिशत तथा अनुसूचित जन जातियों के लिए 2 प्रतिशत का आरक्षण पूरा नहीं हो जाय।

2—शासन ने कुशल खिलाड़ियों को भी राज्याधीन वर्ग-3 की सेवाओं में आरक्षण देने का निश्चय किया है। अतः यह फैसला किया गया है कि:

(1) वर्ग 3 की सेवाओं में और पदों पर जो लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर हैं, वर्गीकृत खेलों के कुशल खिलाड़ियों के लिए, जो निर्धारित फार्म में प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेंगे, प्रतिशत का आरक्षण ऐसे सभी कार्यालयों में होगा जहां अनुसूचित जातियों के लिए 9 प्रतिशत तथा अनुसूचित जन जातियों के लिए 2 प्रतिशत का प्रतिनिधित्व पूरा हो चुका है।

(2) कुशल खिलाड़ियों के लिए उक्त सेवाओं में अधिकतम आयु सीमा से पांच वर्ष की छूट रहेगी।

(3) वर्गीकृत खेलों के नाम अनुलग्नक "क" प्रमाण-पत्र देने के लिए प्राधिकृत अधिकारी का नाम अनुलग्नक "ख" तथा प्रमाण-पत्र के फार्म अनुलग्नक "ग" में दिये गये हैं। निम्नलिखित वर्गों के खिलाड़ी कुशल समझे जायेंगे:

(1) अनुलग्नक (क) पर दी गयी सूची में वर्णित खेल/क्रीड़ा में राष्ट्रीय प्रतियोगिता में किसी राज्य या अपने देश की ओर से भाग लेने वाले खिलाड़ी, जिन्होंने राष्ट्रीय प्रतियोगिता में दो वर्ष-तक भाग लिया हो तो अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में कम से कम एक वर्ष तक भाग लिया हों।

(2) अनुलग्नक "क" पर दी गयी सूची में किसी भी खेल/क्रीड़ा में अन्तर्विश्वविद्यालय स्पोर्ट्स बोर्ड द्वारा आयोजित अंतर्विश्वविद्यालय टूर्नामेन्ट में अपने विश्वविद्यालय की ओर से तीन वर्ष तक भाग लेने वाले खिलाड़ी।

(3) अनुलग्नक "छ" पर दी गयी सूची के किसी भी खेल/क्रीड़ा में अखिल भारतीय स्कूल खेल कूद संघ द्वारा आयोजित स्कूलों में राष्ट्रीय क्रीड़ा/खेलों में राज्य की स्कूल टीम की ओर से तीन वर्षों तक भाग लेने वाले खिलाड़ी।

(4) यह आदेश तात्कालिक प्रभाव से लागू होंगे।

आज्ञा से,
गुलाम हुसैन,
आयुक्त एवं सचिव।

एपेन्डिक्स "बी"

उत्तर प्रदेश शासन

कार्मिक अनुभाग 2

संख्या 43/90-66-कार्मिक-2

लखनऊ, 11 नवम्बर, 1975

कार्यालय-ज्ञाप

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि नियुक्ति-4 के कार्यालय ज्ञाप संख्या 43/90-66 नियुक्ति-4 दिनांक 18 जुलाई, 1972 में राज्याधीन समस्त सेवाओं की सीधी भर्ती में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अक्षम व्यक्तियों (फिजिकली हैण्डीकैप्ट) के लिए क्रमशः 19 प्रतिशत, 2 प्रतिशत तथा 2 प्रतिशत का आरक्षण प्रदान किया गया है किन्तु स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों तथा सेना के विकलांग आफिसरों तथा इमर्जेन्सी कमीशन्ड / शार्ट सर्विस कमीशन्ड आफिसरों एवं सैन्य वियोजित कर्मचारियों के लिए केवल वर्ग 2, 3 तथा 4 में ही आरक्षण का प्राविधान है। इस बीच स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की ओर से शासन के समक्ष ऐसे प्रस्ताव आये हैं जिनमें मांग की गयी है कि अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों के ही समान उनके आश्रितों को भी वर्ग 1 की सेवाओं की सीधी भर्ती में आरक्षण प्रदान किया जाये। शासन ने अब निर्णय लिया है कि :

राज्याधीन वर्ग-1 की सेवाओं की सीधी भर्ती में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों तथा सेना के विकलांग आफिसरों तथा इमर्जेन्सी कमीशन्ड/शार्ट सर्विस कमीशन्ड आफिसरों, प्रत्येक के लिए दस-दस प्रतिशत का आरक्षण रहेगा। इस प्रकार वर्ग 1 की सेवाओं में सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पदों पर आरक्षण की पूरी स्थिति निम्नवत हो जायेगी :—

(1) अनुसूचित जातियों के लिए	18 प्रतिशत
(2) अनुसूचित जनजातियों के लिए	2 प्रतिशत
(3) समाज के अक्षम व्यक्तियों के लिए	2 प्रतिशत
(4) स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों के लिए	10 प्रतिशत
(5) सेना के विकलांग आफिसरों तथा इमर्जेन्सी कमीशन्ड/शार्ट सर्विस कमीशन्ड आफिसरों के लिए	10 प्रतिशत
	42 प्रतिशत

2—आपसे निवेदन है कि सेवाओं में आरक्षण सम्बन्धी नीति पर तदनुसार अनुसारण किया जाये।

ह० रमेश चन्द्र पन्त,
आयुक्त एवं सचिव।

एपेनडिक्स "सी"

संख्या 71/1/69-रा० एकी०

प्रेषक,

पूरन चन्द्र पाण्डेय,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवामें,

समस्त विभागाध्यक्ष तथा अन्य प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ, दिनांक 25 अप्रैल, 1970।

विषय--उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के राज्य सेवाओं में आरक्षण तथा राज्य सेवाओं/पदों में भर्ती के संबंध में अनुसूचित जातियों के सदस्यों के समान सुविधायें प्रदान करना।

महोदय,

राष्ट्रीय एकी० विभाग-1

मुझे आपका ध्यान इस विभाग के शासनादेश संख्या 65/1/69-रा० एकी०, दिनांक 23 अक्तूबर, 1969 जो समस्त जिलाधिकारियों को सम्बोधित है और जिसकी प्रतिलिपि आपको प्रेषित की गई है, की ओर आकृष्ट कराते हुए यह निवेदन करने का निदेश हुआ है कि भारत का संविधान के अनुच्छेद 335 के अधीन अनुसूचित जनजातियों को केन्द्र अथवा प्रदेश की सेवाओं/पदों में भर्ती के संबंध में अनुसूचित जातियों के समान ही माना गया है। अतः राज्यपाल ने यह निर्णय किया है कि इस आदेश के जारी होने के दिन से अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों को वे सभी सुविधायें जो अनुसूचित जातियों के अभ्यर्थियों को प्राप्त हैं, यथा (1) सेवाओं में आरक्षण, (2) अधिकतम आयु सीमा में छूट, तथा (3) लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगात्मक परीक्षाओं में चयनों की फीस में छूट दी जाय।

2--भविष्य में अनुसूचित जातियों के सदस्यों को राज्य सेवाओं/पदों में 2 प्रतिशत आरक्षण प्राप्त रहेगा और भर्ती हेतु निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जायगी। लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगात्मक परीक्षाओं के सम्बन्ध में ली जाने वाली परीक्षा/साक्षात्कार की एक तिहाई पर ली जाया करेगी।

3--आरक्षित रिक्तियों के लिए पर्याप्त संख्या में अनुसूचित जनजातियों के उपयुक्त अभ्यर्थियों के प्राप्त न होने पर ऐसी रिक्तियां अनारक्षित रिक्तियों के समान समझकर भर्ती उसी समान की जायगी किन्तु भर्ती के अनुवर्ती अवसरों पर अग्रेनीत (carried forward) की जायगी। इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को अनुसूचित जन-जाति के अभ्यर्थियों के लिए पांच साल की अवधि तक उपलब्ध रक्खा जायगा। तत्पश्चात् इन रिक्तियों को अनारक्षित समझा जायगा।

4--मुझे आपसे यह अनुरोध करना है कि अपने अधीनस्थ नियुक्ति प्राधिकारियों को उपयुक्त आदेशों से अवगत करायें और उन्हें सही ढंग से पालन करने का निदेश दें ताकि अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों को नियमानुसार सरकारी नौकरियों में निर्धारित स्थान मिल सकें।

5--यह आदेश वित्त विभाग के अ० शा० संख्या ई०-5/1/400/दस, दिनांक 3 अप्रैल, 1970 में प्राप्त सहमति से जारी किया जा रहा है।

भवदीय
पूरन चन्द्र पाण्डेय,
सचिव।